माध्यमिक स्तर पर हिंदी – शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण

डॉ. अनूप कुमार

कार्यक्रम समन्वयक

सामाजिक और मानविकी शिक्षा विभाग

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

भुवनेश्वर

१९९७-९८

प्राक्कथन

"माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण" संबंधी कार्यक्रम पी.एसी.कार्यक्रम (सं. १७.२३) के अंतर्गत, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर की ओर से आयोजित और संपन्न किया गया ।

माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण-संबंधी अनेक समस्याएं शिक्षक/शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों के सामने आती रहती हैं । उन समस्याओं के कारणों की जानकारी करके उनके निराकरण के उपायों को सुझाने के उद्देश्य से, यह कार्यक्रम आयोजित किया गया । हिंदी प्रशिक्षण पैकेज निर्मित करने के क्रम में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रांत को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है । फिर भी यह पैकेज, हिंदी को किसी न किसी रूप में सीखने-सिखाने के कार्य में सहायक सिद्ध हो सकता है । उल्लेख्य है कि प्रशिक्षण पैकेज के लिए जो मॉड्यूल विकसित किये गए, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता की परख के लिए उनका, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के विद्यालयों की कक्षाओं में परीक्षण भी किया गया एवं परीक्षण - परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे ।

मुझे यह कहने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि डॉ. अनूप कुमार ने, अन्य सहयोगियों के सहयोग से कार्यक्रम का जो प्रतिवेदन व्यापक विस्तार के लिए प्रस्तुत किया, उससे माध्यमिक स्तर पर हिंदी - शिक्षण की समस्याओं के निराकरण में सहायता मिल सकती है ।

२३ मार्च १९९८

डी.के. भट्टाचार्जी

(प्रो .डी.के. भट्टाचार्जी)
प्राचार्य

आभार

"माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण" संबंधी कार्यक्रम, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर की ओर से आयोजित तथा संपन्न किया गया । यह कार्य, पी.ए.सी. कार्यक्रम (सं.१७.२३) के अंतर्गत किया गया । संप्रति, हिंदी भाषा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में सीखी - सिखायी जा रही है। मातृभाषा के रूप में तो इसका अध्ययन/अध्यापन हो ही रहा है, द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण-कार्य में हिंदी शिक्षक/शिक्षिका के समक्ष समय - समय पर कई कठिनाइयाँ उपस्थित हुआ करती हैं जिनके निराकरण का प्रयास करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आरंभ किया गया ।

उल्लेख्य है कि हिंदी प्रशिक्षण पैकेज निर्मित करने के क्रम में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, फिर भी यह पैकेज हिंदी को किसी भी रूप में सिखाने - सीखने के कार्य में उपयोगी हो सकता है । इस कारणवश इसकी उपयोगिता अहिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ-साथ, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो रहे हिंदी-शिक्षण के संदर्भ में भी हो सकती है ।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आयोजित की गयी कार्यशाला में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आए प्रतिभागियों को प्रश्नावली दी गयी जिसे उन्होंने भरकर दिया । उनके विश्लेषण से हिंदी-शिक्षण की समस्याओं के क्षेत्र निर्धारित किए गए और उन क्षेत्रों के आधार पर मॉड्यूल विकसित किये गए ।

मॉड्यूल के आधार पर पढ़ाने से, हिंदी-शिक्षण-प्रक्रिया में आनेवाली समस्याएँ किस स्तर तक दूर होती हैं, यह जानने के लिए, प्रशिक्षण पैकेज के मॉड्यूलों का उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ विद्यालयों में परीक्षण (ट्राई आउट) किया गया और परिणाम संतोषजनक तथा उत्साहवर्द्धक रहे ।

मैं सर्वप्रथम, अपने प्राचार्य महोदय प्रो. डी.के. भट्टाचार्जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दिशा में यथावश्यक प्रशासनिक और शैक्षणिक सहयोग देते हुए मेरा उत्साहवर्द्धन किया । उनके विचारपूर्ण परामर्श से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका ।

मैं संकाय-अध्यक्ष महोदय प्रो. के. दोरैस्वामीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपेक्षित सहयोग देते हुए इस कार्यक्रम को पुरा करवाया ।

मैं विभागाध्यक्ष, डॉ. वी. के. सुनवानीजी के प्रति भी आभारी हूँ क्योंकि पूरे कार्यक्रम के विभिन्न क्रियाकलापों में वे सक्रिय रूप से बहुमूल्य योग देते रहे ।

बाह्य संसाधक व्यक्तियों में प्रो. बी. के. दास, श्री वी. वी. विद्यार्थी, डॉ. एस. एल. पुरोहित, डॉ. सुव्रत लाहिड़ी, डॉ. विमलेश्वर द्विवेदी, डॉ. एस. के. नायक ने, और आंतरिक संसाधक व्यक्तियों में डॉ. वी. के. सुनवानी, डॉ. एस. पी. आनंद, डॉ. एस. के. गोयल, डॉ. ए. डी. तिवारी, डॉ. के. सी. पंडा ने अपने अध्यापकीय अनुभवों से इस कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों को विद्वत्तापूर्ण परामर्श दिये । मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उनके सुयोग्य विचारों से कार्यक्रम को वैचारिक उत्तेजना मिली ।

मैं समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूँ । उन्होंने निष्ठापूर्वक, सुविचारित ढंग से मॉड्यूलों को तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी ।

मैं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के उन विद्यालयों के प्रधानध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं का आभारी हूँ जिन्होंने अपने विद्यालयों में परीक्षण-कार्य करने की अनुमति दी, साथ ही, उसे संपन्न भी करवाया । मैं उन शिक्षकों और पर्यवेक्षकों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने मॉड्यूलों के परीक्षण-कार्य को संपन्न करने में सक्रिय भूमिका निभायी ।

मैं संस्थान के विस्तार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. आर. एन. दीक्षित और उनके विभाग के समस्त सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कार्यक्रम को संपन्न करवाने की दिशा में हर तरह का सहयोग दिया ।

अंत में, मैं अनुभव करता हूँ कि यह हिंदी प्रशिक्षण पैकेज, माध्यमिक स्तर पर किये जा रहे, हिंदी-शिक्षण-कार्य में आनेवाली विभिन्न कठिनाइयों के समाधान में अपना महत्त्वपूर्ण योग दे सकता है ।

२३ मार्च १९९८

अनूप कुमार

(डॉ. अनूप कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक

विषय-क्रम

प्रस्तावना

पी॰एसी॰ कार्यक्रम सं॰ १७.२३ के अंतर्गत, "माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण" विषयक कार्यक्रम को संपन्न करने का दायित्व मुझे प्रदान किया गया । यह कार्य, हिंदी-शिक्षण के संदर्भ में आनेवाली अनेकानेक कठिनाइयों को देखते हुए, प्रासंगिक था । कारण यह कि आज देश में मातृभाषा/द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन व्यापकता से हो रहा है । सीखने - सिखाने की इस प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाइयाँ आती रहती हैं जिनका निराकरण करके ही अध्यापक/अध्यापिका, अपने शिक्षण-कार्य को निष्कर्ष तक पहुँचा सकता/सकती है । अहिंदी भाषी क्षेत्रों में, माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण में रत व्यक्तियों के सामने तो तरह-तरह कि समस्याएं आती ही रहती हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी शिक्षण-कार्य में लगे लोगों को भी समय-समय पर कई कठिनाइयों से जूझना पड़ता है ।

उल्लेख्य है कि प्रशिक्षण पैकेज को बनाने के क्रम में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के परिवेश को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया । इसके अतिरिक्त उन प्रांतों में हिंदी-शिक्षण-क्रम में आने वाली कठिनाइयों को मालूम करके विभिन्न मॉड्यूल विकसित करने की जो योजना बनाई गयी, उसके पीछे दृष्टि यह रही कि वे मॉड्यूल अहिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ-साथ हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हो रहे हिंदी भाषा के अध्ययन - अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें ।

उद्देश्य

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में, इस कार्यक्रम को संपन्न करने के क्रम में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए —

- माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण की कठिनाइयों की जानकारी करना ।
- उन कठिनाइयों के संभावित कारणों का पता लगाना ।
- उन कारणों के निराकरण के लिए कार्य - प्रविधि सुझाते हुए, प्रशिक्षण पैकेज के लिए विभिन्न मॉड्यूल विकसित करना ।
- प्रशिक्षण पैकेज के मॉड्यूल की व्यावहारिक उपयोगिता की परख के लिए कक्षा में उनका परीक्षण (ट्राइ आउट) करना ।

- अत्यावश्यक व्यक्तियों की क्षमता को इस तरह बढ़ाना कि वे हिंदी-शिक्षण-संबंधी विभिन्न कठिनाइयों को कुशलतापूर्वक दूर कर सकें ।

उल्लेख्य है कि कार्यक्रम के आरंभ से यह बात ध्यान में रखी गयी कि प्रशिक्षण पैकेज के लिए सामग्री-निर्माण-क्रम में कार्य-प्रविधियों पर विशेष बल दिया जाए ताकि अध्यापन - कार्य जीवंत हो और उसमें लगे लोगों को, हिंदी सीख रहे विद्यार्थियों की भाषागत उलझनों को सुलझाने में सहायता मिले । इस संबंध में, इस बिंदु पर भी दृष्टि रखी गयी कि शिक्षण-कार्य में विद्यार्थियों को सक्रिय रखा जाए क्योंकि भाषा सिखाने का कार्य उन्हीं के लिए हो रहा है । इस तरह, हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरूआत, इस संकल्प से हुई कि अंततः हिंदी शिक्षण-कार्य में लगे व्यक्ति इस तरह सक्षम हो जाएं कि वे, अपने विद्यार्थियों में भी भाषागत कठिनाइयों के निराकरण करने की क्षमता विकसित कर सकें ।

(अ) कार्यक्रम की आरंभिक बैठक

प्रशिक्षण पैकेज को बनाने के संदर्भ में, उसका स्वरूप-निर्धारण करने के लिए और हिंदी-शिक्षण से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने के उद्देश्य से शिक्षक/शिक्षिका पर प्रयोग हेतु प्रश्नावली के निर्माण के लिए, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर में, दिनांक २८.५.९७ से ३०.५.९७ तक, तीन दिवसीय एक बैठक की गयी। इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए —

१. प्रो. विक्रम कुमार दास (बाहय संसाधक व्यक्ति)
२. डॉ. विजय कुमार सुनवानी (आंतरिक संसाधक व्यक्ति)
३. डॉ. सत्यपाल आनंद (आंतरिक संसाधक व्यक्ति)
४. डॉ. सुशील कुमार गोयल (आंतरिक संसाधक व्यक्ति)
५. डॉ. अंबादत्त तिवारी (आंतरिक संसाधक व्यक्ति)
६. डॉ. अनूप कुमार. (आंतरिक संसाधक व्यक्ति)
७. डॉ. कीर्तिचंद्र पंडा (आंतरिक संसाधक व्यक्ति)

सर्वप्रथम सदस्यों ने प्रशिक्षण पैकेज के स्वरूप को लेकर गहन विचार-विमर्श किया और तदुपरांत इस निष्कर्ष पर आम सहमति हुई कि आगे चलकर क्षेत्र-निर्धारण होने पर जो मॉड्यूल लिखे जाएं, उनका प्रारूप निम्नलिखित बिंदुओं के अनुरूप हो —

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु
२. प्रशिक्षण के उद्देश्य
३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप
४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली
५. मूल्यांकन

इस बैठक में हिंदी-शिक्षण की विभिन्न समस्याओं को जानने के उद्देश्य से शिक्षक/शिक्षिका पर प्रयोग हेतु प्रश्नावली के निर्माण का कार्य भी किया गया। प्रस्तुत बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि माध्यमिक स्तर पर हिंदीशिक्षण हेतु प्रशिक्षण पैकेज को

विकसित करने के लिए जो कार्यशाला आयोजित की जाए, उसमें उन्हीं प्रतिभागियों को आमंत्रित किया जाए जो विषय (हिंदी) का अच्छा ज्ञान रखते हों, और माध्यमिक स्तर पर जिन्हें अध्यापन करने का व्यावहारिक अनुभव हो । सदस्यों ने यह भी अनुभव किया कि भविष्य में आयोजित होनेंवाली कार्यशाला में मॉड्यूल बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यथासंभव वे कार्यप्रविधियाँ सुझाई जाएं जिन्हें करवाने में व्यावहारिक स्तर पर कठिनाई न हो । उस कार्यशाला में प्रतिभागियों को दिशा-निर्देश मिल सके, इसके लिए इस बैठक में नमूने के रूप में एक मॉड्यूल विकसित किया गया ।

माध्यमिक स्तर पर हिंदी प्रशिक्षण पैकेज के विकास संबंधी कार्यशाला का आयोजन

माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज के विकास हेतु पाँच-दिवसीय एक कार्यशाला (८.९.९७ से १२.९.९७ तक), क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर में आयोजित हुई । निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उड़ीसा और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पश्चिम बंगाल से निवेदन किया गया कि वे कार्यशाला में भाग लेने के लिए माध्यमिक स्तर के हिंदी के दस - दस अत्यावश्यक व्यक्तियों को इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करने की कृपा करें । साथ ही, दोनों प्रांतों से वाहय संसाधक व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया । अंततः कार्यशाला में भाग लेने के लिए, उड़ीसा प्रांत से पाँच प्रतिभागी, और पश्चिम बंगाल से नौ प्रतिभागी इस संस्थान में आए । इसके अतिरिक्त उड़ीसा से तीन वाहय संसाधक व्यक्ति और पश्चिम बंगाल से दो वाहय संसाधक व्यक्ति उपस्थित हुए ।

दिनांक ८.९.९७ को, समागत प्रतिभागियों और संसाधक व्यक्तियों का पंजीयन हुआ, तदुपरांत इस संस्थान के प्राचार्य प्रो.डी.के.भट्टाचार्जी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और उद्घाटन भाषण दिया । इसके अनंतर कार्यशाला की आगे की कार्यवाही शुरू की गयी ।

उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त आंतरिक संसाधक व्यक्तियों ने अपने अध्यापकीय अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा - शिक्षण की समस्याओं की ओर संकेत करते हुए, प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा उनसे संवाद भी किया ।

प्रथम दिवस के भोजनोपरांत के अपराह्न सत्र में वाहय और आंतरिक संसाधक व्यक्तियों एवं प्रतिभागी जनों के साथ पूर्वनिर्मित प्रशिक्षण पैकेज के प्रारूप पर विचार किया गया एवं उनका ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकृष्ट किया गया —

- प्रशिक्षण पैकेज के लिए जो मॉड्यूल बनाए जाएं वे प्रारूप के अनुरूप हों, जिससे सभी मॉड्यूलों में प्रारूपगत एकरूपता हो ।
- मॉड्यूल व्यावहारिक भाषिक कठिनाइयों को लक्ष्य कर निर्मित किये जाएं ।
- वे सीखनेवालों को केंद्र में रखकर विकसित किये जाएं ।
- उनमें; समस्याओं के निराकरण हेतु क्रिया-प्रविधियों पर बल दिया जाए ।

उल्लेख्य है कि द्वितीय दिवस के पूर्वाह्न सत्र में हिंदी-शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को जानने के लिए और समस्याओं के क्षेत्र - निर्धारण हेतु, प्रतिभागी शिक्षकों को पूर्वनिर्मित प्रश्नावली भरने के लिए दी गयी । प्रतिभागीजनों ने प्रश्नावली को भरकर वापस किया। उसके उपरांत बाहय एवं आंतरिक संसाधक व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से प्रश्नावलियों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया । प्रतिभागियों ने प्रश्नावली में हिंदी - शिक्षण क्रम में आने वाली जिन प्रमुख कठिनाइयों का उल्लेख किया था, उनको निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है—

१. उच्चारण-शिक्षण
२. वर्तनी-शिक्षण
३. अर्थबोध-शिक्षण
४. वाक्य-संरचना-शिक्षण
५. लिंग-शिक्षण
६. वचन-शिक्षण
७. क्रिया-रूप-शिक्षण
८. कारक-चिह्न-शिक्षण

इन समस्याओं पर मॉड्यूल बनाने के लिए समूह-कार्य हेतु,

प्रतिभागियों और संसाधक व्यक्तियों के चार समूह निर्मित किये गए । प्रत्येक समूह को दो समस्याओं पर मॉड्यूल बनाने का कार्य सौंपा गया । साथ ही, उन्हें पूर्व विकसित किये गए मॉड्यूल के नमूने को, दिशा-निर्देश करने हेतु दिया गया । समूह-कार्य के लिए सदस्यों का वर्गीकरण निम्नवत् किया गया —

प्रथम समूह

(प्रशिक्षण विषय-वस्तु - (१) उच्चारण-शिक्षण

(२) वर्तनी-शिक्षण)

प्रतिभागीगण

१. श्री मदन मोहन तिवारी (समूह-अधिनायक)

२. श्री हृदय नारायण त्रिपाठी

३. श्री संतोष कुमार मोहंती

संसाधक व्यक्ति

१. डॉ. सुव्रत लाहिड़ी

२. डॉ. अनूप कुमार

द्वितीय समूह

(प्रशिक्षण विषय-वस्तु -(क) अर्थबोध-शिक्षण

(ख) वाक्य-संरचना-शिक्षण)

प्रतिभागीगण

१. श्री शिवसहाय सिंह (समूह-अधिनायक)

२. श्री मन्नू प्रसाद साह

३. श्री विश्वनाथ सिंह

४. श्री मोहम्मद एरकान

संसाधक व्यक्ति

श्री विश्ववीर विद्यार्थी

तृतीय समूह

(प्रशिक्षण विषय-वस्तु - (क) लिंग - शिक्षण

(ख) वचन - शिक्षण)

प्रतिभागीगण

१. श्री रामजन्म सिंह यादव (समूह-अधिनायक)

२. श्री सुरेश पांडेय

३. श्री लक्ष्मीकांत नायक

४. श्री भुवनेश्वर राउत

संसाधक व्यक्ति

१. डॉ. शंकरलाल पुरोहित

२. डॉ. सुधांशु कुमार नायक

चतुर्थ समूह

(प्रशिक्षण विषय-वस्तु - (१) क्रिया-रूप-शिक्षण

(२) कारक-चिह्न-शिक्षण)

प्रतिभागीगण

१. श्री सुभाष कुमार पांडेय (समूह-अधिनायक)

२. श्री राधारमण सिंह

३. श्री निरंजन बारिक

संसाधक व्यक्ति

१. डॉ. विजय कुमार सुनवानी

२. श्री विमलेश्वर द्विवेदी

समूह-निर्मिति के बाद, समूह-कार्य आरंभ हुआ । प्रत्येक समूह ने, निर्धारित विषयों पर मॉड्यूल निर्मित करने का कार्यशुरू किया । समूह-सदस्यों के बीच, हिंदी-

शिक्षण-क्रम में आनेवाली निर्दिष्ट कठिनाइयों के कारणों और निराकरण के उपायों को लेकर गहन विचार-मंथन हुआ । इसके उपरांत सभी समूहों ने मॉड्यूल के नमूने के आधार पर निर्धारित क्षेत्रों पर, मॉड्यूल तैयार किये । पाँचवे दिन के आरंभिक सामान्य सत्र में, प्रत्येक समूह के समूह-अधिनायक ने अपने - अपने मॉड्यूल के साथ, समूह-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समूह-कार्य पर, प्रतिभागियों और संसाधक व्यक्तियों ने विचार-विमर्श किया और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करके, उसे व्यवस्थित किया गया ।

भोजनावकाश के उपरांत कार्यक्रम का समापन-समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य प्रो. डी. के. भट्टाचार्जी ने की । उन्होंने प्रतिभागियों को अपने कर-कमलों से, कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाणपत्र दिये और उन्हें संबोधित करते हुए कार्यशाला की कार्यप्रणली पर संतोष प्रकट किया ।

प्रतिभागियों में से श्री मदन मोहन तिवारी (पश्चिम बंगाल) और श्री लक्ष्मीकांत नायक (उड़ीसा) ने अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कार्यशाला के उद्‌देश्य और उसकी कार्यप्रणाली की सराहना की । साथ ही, उन्होंने समस्त प्रतिभागियों की ओर से आभार-प्रदर्शन किया । संस्थान के तत्कालीन डीन प्रो. ए. एल. एन. शर्मा, सामाजिक और मानविकी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. वी. के. सुनवानी ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यशाला की सफलता पर संतोष व्यक्त किया । अंत में, कार्यक्रम-समन्वयक डॉ. अनूप कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन का कार्य किया ।

माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु बनाए गए प्रशिक्षण पैकेज के मॉड्यूलों के परीक्षण का कार्य दिनांक १७.१.९८ से २७.१.९८ के बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किया गया । उड़ीसा में परीक्षण का कार्यक्रम चंद्रशेखर जीऊ बहुमुखी शिक्षा निकेतन, देवगाँ (ढेंकानाल) में, नवीं कक्षा में संपन्न हुआ, जबकि यही कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में श्री बालकृष्ण विट्ठलनाथ विद्यालय, कलकत्ता और श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय, कलकत्ता में, क्रमशः नवीं - दसवीं एवं नवीं कक्षा में किया गया । शिक्षकों ने प्रत्येक मॉड्यूल के आधार पर कक्षाएं लीं और पढ़ाने के क्रम में स्वयं का मूल्यांकन भी किया । पर्यवेक्षकों ने कक्षा में हुए शिक्षण-कार्य को मॉड्यूलों के परिप्रेक्ष्य में पर्यवेक्षित किया और निर्धारित तालिका भरी । उसके उपरांत, परीक्षण से प्राप्त परिणाम से अवगत कराने के लिए शिक्षक और पर्यवेक्षक द्वारा भरी गयी तालिकाएँ, कार्यक्रम - समन्वयक को भेज दी गयीं ।

परीक्षण के क्रम में निम्नलिखित साधन-सामग्री का व्यवहार किया गया—

१) शिक्षक/शिक्षिका - स्वयं मूल्यांकन तालिका :-

शिक्षकों ने प्रत्येक मॉड्यूल के आधार पर कक्षा में पढ़ाया और पढ़ाने के तत्काल बाद इस मूल्यांकन-तालिका को भरा ।

२) पर्यवेक्षण-तालिका :-

पर्यवेक्षकों ने कक्षा में किये गए शिक्षण-कार्य को पर्यवेक्षित किया और उसी समय पर्यवेक्षण-तालिका भरी ।

परीक्षण से प्राप्त परिणाम

परीक्षण से जो परिणाम सामने आए, उन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है —

१) मॉड्यूल के अनुसार पढ़ाने से हिंदी - शिक्षण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में अपेक्षाकृत काफी सहायता मिली ।

२) मॉड्यूल की भाषा विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य थी ।

३) मॉड्यूल विधिवत् बनाए गए हैं ।

४) मॉड्यूल के विषय को पढ़ाने के पहले शिक्षक/शिक्षिका को अभ्यास करना होगा ।

विभिन्न मॉड्यूलों के परीक्षण के उपरांत, प्रशिक्षण पैकेज को अंतिम रूप दिया गया । ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी - शिक्षण की समस्याओं को अपेक्षाकृत दूर करने की दिशा में यह पैकेज सार्थक योग दे सकता है । इस सामग्री की सफलता काफ़ी-कुछ शिक्षक/शिक्षिकाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि वे जितनी रुचि और विवेक से सामग्री को विद्यार्थियों तक संप्रेषित करेंगे/करेंगी, विषयगत समस्या का उतना ही समाधान होता जाएगा । उल्लेख्य है कि शिक्षक/शिक्षिका, परिवेश की आवश्यकता के अनुरूप, यदि समस्या के निराकरण के कोई अन्य सार्थक उपाय उपयोग में लाते/लाती हैं, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए । शायद यही वांछनीय भी है कि शिक्षक/शिक्षिका और विद्यार्थी, इस सीमा तक सक्षम हो जाएं कि उनमें समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित हो जाए । इस प्रशिक्षण पैकेज के विषय में इतना ही कहना है ।

प्रशिक्षण पैकेज की सामग्री आपके सामने प्रस्तुत है । आशा है, आप अधिकाधिक इसका उपयोग हिंदी - शिक्षण के संदर्भ में करेंगे तथा अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएंगे । उस परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण पैकेज के स्वरूप को और भी समृद्ध किया जा सकेगा ।

अनूप कुमार

कार्यक्रम समन्वयक

क. उन्हें स्वेच्छा से किसी परिचित और आत्मीय विषय पर बोलने के लिए प्रेरित करना ।

ख. उन्हें निर्धारित किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्साहित करना ।

ग. उन्हें विभिन्न समूहों में बाँटकर किसी विषय पर परस्पर विचार-विमर्श और संवाद करने का अवसर देना ।

घ. उनसे दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्न पूछते हुए, उनके उत्तर को ध्यान से सुनना ।

इस तरह के क्रियाकलापों को करवाते हुए, प्रतिभागियों के उच्चारण-पक्ष को अधिकाधिक सुनने का अवसर मिलेगा । इस प्रक्रिया में जो अशुद्धियाँ होंगी, उनका विश्लेषण करने पर, निम्नलिखित संभावित कारण प्रकाश में आ सकते हैं —

<u>मातृभाषा का प्रभाव</u> - दोषपूर्ण उच्चारण का एक महत्त्वपूर्ण कारण है— मातृभाषा के प्रभाव का व्याघात । मातृभाषा की कोई विशेष प्रवृत्ति, हिंदी सीखने वाले के हिंदी-उच्चारण को प्रभावित कर सकती है । उदाहरण के लिए, बाँगला में श, ष और स के स्थान पर तालव्य "श" का प्रयोग अधिकांशतः हुआ करता है, यद्यपि लिखित रूप में ये तीनों रूप प्रचलित हैं । इस कारण हिंदी बोलते समय बाँगलाभाषियों से प्रायः दन्त्य "स" के स्थान पर तालव्य "श" का प्रयोग हो जाता है । उदाहरणार्थ, रसगुल्ला को रशोगुल्ला उच्चरित करना । इसके विपरीत उड़िया में "श", "ष" और "स" के लिए दन्त्य "स" का व्यवहार होता है जिसके कारण हिंदी के तालव्य "श" के स्थान पर उड़ियाभाषी दन्त्य "स" का ही उच्चारण करते हैं । जैसे, "भुवनेश्वर" के स्थान पर "भुबनेस्वर" का प्रयोग किया जाना । इसी तरह स्वर के ह्रस्व एवं दीर्घ उच्चारण में प्रायः कठिनाई होती है और दीर्घ के ह्रस्वीकरण की प्रवृत्ति बाँगला एवं उड़िया में पायी जाती है । उदाहरणार्थ "दीनबन्धु" शब्द को लिया जा सकता है । इस शब्द का उच्चारण बाँगला और उड़िया में "दिनबन्धु" के रूप में होता है ।

दोनों भाषाओं (बाँगला और उड़िया) में, हिंदी के दीर्घ "ऊ" का उच्चारण ह्रस्व "उ" के रूप में होता है । जैसे :- फूल — फुल

कूल — कुल

उड़िया में कभी-कभी, अल्पप्राण ध्वनि, महाप्राण में परिवर्तित हो जाती है।

यथा —

स्तान — स्थान ("त" के स्थान पर "थ")

इसी कारणवश "हिंदुस्तान" को "हिंदुस्थान" जैसा उच्चरित किया जाता है । उल्लेख्य है कि भाषायी संस्कार के कारण उपर्युक्त दोनों भाषाओं (बॉं. और उ.) में जगह के लिए स्थान शब्द का प्रयोग होता है । वस्तुतः "स्तान" और "स्थान" में अर्थ-भेद नहीं है, उच्चारणगत अंतर विद्यमान है ।

ऐसा भी देखने को मिलता है कि बाँगला तथा उड़िया, दोनों भाषाओं के लोग जब हिंदी का व्यवहार करते हैं, तो हिंदी के कुछ शब्दों में प्रयुक्त महाप्राण ध्वनि, अल्पप्राण में बदल जाती है जिससे उच्चारणगत परिवर्तन आ जाता है ।

जैसे —

हाथ — हात

इसी तरह हिंदी का "व", "ब" रूप में उचचरित होता है । यथा, "भुवनेश्वर" के स्थान पर "भुबनेस्वर" उच्चरित करना । बाँगला एवं उड़िया, दोनों भाषाओं में हिंदी का "य", "ज" रूप में उच्चरित किया जाता है, जैसे "युवती" के स्थान पर "जुबती" उच्चरित करना । द्रष्टव्य है कि लिखित रूप में इन दोनों ध्वनियों ("व" और "य") का व्यवहार उनमें होता है । हिंदी की संयुक्त व्यंजन ध्वनियों के प्रसंग में, बाँगला में प्रायः किसी एक ध्वनि का द्वित्वीकरण हो जाता है । यथा —

सत्य — सत्तो

स्वार्थ — सार्थ

बाँगला भाषा में "पढ़ने" के लिए "पड़" शब्द का प्रयोग होता है । अतः वहाँ "ढ़" और "ड़" के उच्चारण में भ्रांति हो जाती है । इसी प्रकार "र" और "ड़" में भी उच्चारणगत भ्रम उत्पन्न होता है । यथा "राम" को "ड़ाम" कहते हैं । "राजा" को "ड़ाजा" । अतएव उनके पार्थक्य को बताना आवश्यक है ।

जानकारी के अभाव के कारण

कभी-कभी जानकारी के अभाव से उच्चारण में विकार आ जाता है । जैसे, यदि किसी प्रतिभागी को ढ/ढ़ और ड/ड़ का फर्क नहीं मालूम है, तो वह "पढ़ाई" को "पढाई" और "झंडा" को "झंड़ा" रूप में उच्चरित कर सकता है ।

विदेशी ध्वनियों का प्रभाव

भाषा का व्यवहार करनेवाला यदि सवाधान नहीं हैं, तो वह विदेशी भाषा की ध्वनियों के अनुरूप हिंदी बोलते समय उच्चारणगत अशुद्धि कर सकता है । उदाहरणार्थ — अँग्रेज़ी में KALINGA या ASHOKA के प्रभाव से प्राय: विद्यार्थी हिंदी में "कलिंगा" और "अशोका" उच्चरित कर देते हैं । इस तरह "फल" को "फ़ल" जैसा भी कह दिया जाता है । विदेशी भाषाओं के कुछ शब्दों के उच्चारण, हिंदी, बाँगला और उड़िया में भिन्न हो सकते हैं । इस अंतर का कारण क्षेत्रीय ध्वनिगत विशेषताएं हैं । एक ही शब्द के भिन्न उच्चारणों से भ्रम उत्पन्न हो सकता है । जैसे - फ़ारसी शब्द "वकालत" और "आहिस्ता" को देखा जा सकता है —

वकालत(हिंदी में), ओकालाति(बाँगला में), ओकिलाति(उड़िया में) ।

आहिस्ता(हिंदी में), आस्ते (बाँगला और उड़िया में) ।

हिंदी में अरबी-फ़ारसी की कुछ ध्वनियाँ, उच्चारणक्रम में प्राय: अपने मौलिक रूप में ही उच्चरित होती हैं । यथा — क़, ग़, फ़, ज़ । उच्चारण-पार्थक्य और अर्थ-भेद के लिए अरबी-फ़ारसी ध्वनियाँ में नुक्ते (.) का प्रयोग होता है । इससे उच्चारण-स्थान और प्रयत्न में परिवर्तन आता है, जबकि बाँगला और उड़िया में नुक्ते के अप्रचलन के कारण क और क़, ग और ग़ एवं ज और ज़, फ और फ़ में उच्चारण-संबंधी कोई अंतर नहीं रह जाता । ऐसी स्थिति में, हिंदी में विदेशी ध्वनियों वाले शब्दों का प्रयोग करते समय बाँगला और उड़िया भाषी, उन्हें बिना नुक्ते के प्रयुक्त कर सकते हैं । जैसे —

फ़न — फन

ज़रा — जरा

ज़न — जन

ज़माना — जमाना

ऐसी स्थिति में अर्थ-भ्रम की स्थिति आ सकती है क्योंकि फ़न का अर्थ "कला" है, जबकि "फन" साँप के शिरोभाग को कहते हैं । "ज़रा" "थोड़े" के अर्थ में आता है, और "जरा" बुढ़ापे के लिए व्यवहृत होता है । "ज़न" स्त्री का अर्थ देता है, तथा "जन" लोग के लिए प्रयुक्त होता है । इसी तरह "ज़माना" समय या काल को कहते हैं और "जमाना" क्रिया विशेष का अर्थ देता है (जैसे - दही जमाना, प्रभाव जमाना) । इसी तरह अँग्रेज़ी के कुछ शब्दों का उच्चारण हिंदी में जिस तरह से होता है, बाँगला और उड़िया में उस तरह नहीं होता यथा, - स्कूल (हिं) —इस्कूल (बाँगला और उड़िया), टमाटर (हिं) — — टोमाटो (बाँगला और उड़िया) ।

अतिशीघ्रता/मुख-सुख के कारण:

अतिशीघ्रता/मुख-सुख के कारण भी उच्चारण प्रभावित हो जाता है । जैसे - "डॉक्टर साहब" के स्थान पर "डाकसाब", "प्रणाम" के स्थान पर "परनाम", "जनता" के स्थान पर "जन्ता" का उच्चारण करना । "मास्टरसाहब" के लिए "मास्टसाब" या "माहटरसाव", "रिक्शा" के लिए "रिश्का" या "रिस्का" और "टैक्सीवाला" के लिए "टैस्कीवाला" का उच्चारण कर दिया जाता है ।

मानसिक तनाव/दबाब अथवा भावावेश के कारण:

मानसिक तनाव/दबाव अथवा भावावेश की दशा में उच्चारण के दोषपूर्ण हो जाने की आशंका हो जाती है, जैसे—

अभी निकलो — अब्भी निकलो

तब भी — तब्भी

जब भी — जब्भी

भावावेश के कारण बेटी को बिटिया, दुलारी को दुल्लो कह दिया जाता है ।

<u>शारीरिक विकार के कारण:</u>

ओष्ठ-विकृति, दंतक्षय, या दांतों की अस्वाभाविक स्थिति की वजह से भी सहज उच्चारण नहीं हो पाता । सुनने की क्षमता में कमी होने से भी उच्चारण प्रभावित हो सकता है क्योंकि दोषपूर्ण सुनना, अनुकरण को अपूर्ण बनाता है और परिणामस्वरूप दोषपूर्ण उच्चारण की स्थिति आती है ।

४. क्रियाकलापें को पूरा करने की कार्यप्रणाली:-

प्रतिभागियों के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में जो जानकारियाँ हुई, उनके परिप्रेक्ष्य में कार्यप्रणाली व्यवहृत करने पर क्रियाकलाप सार्थक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उच्चारणगत अशुद्धियें और उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित है कि उनको दूर करने के उपाय भी किए जाएं । यहाँ क्रमशः ऐसे सुझावों का उल्लेख किया जा रहा है —

मातृभाषा के प्रभाव से प्रभावित हिंदी के दोषपूर्ण उच्चारण को ठीक करने के लिए हिंदीभाषा के अध्यापक/अध्यापिका को प्रतिभागियों की मातृभाषा की जानकारी ही नहीं, उनका ज्ञान भी होना चाहिए । उसे ध्वनि विज्ञान की अवगति होनी चाहिए । इस संदर्भ में हिंदी के ध्वनि विज्ञान और प्रतिभागी की मातृभाषा के ध्वनि विज्ञान, दोनों का समानान्तर ज्ञान होना चाहिए । ऐसी स्थिति में ही वह सीखनेवालों को इस बात के लिए विवेकवान बना सकंता/सकती है कि वे मातृभाषा और हिंदी के उच्चारण में, आवश्यकता होने पर, भेद कर सकें ।

स्वर के ह्रस्व एवं दीर्घ उच्चारण से संबद्ध शब्दों की आवृत्ति प्रतिभागी से कराने पर इस प्रकार की कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है । उदाहरण के लिए "दिनबन्धु" एवं "दीनबन्धु" शब्दें को लिया जा सकता है । इसी तरह, कुछ अन्य शब्दें की आवृत्ति करवाते हुए, उनके अर्थ-भेद द्वारा, ह्रस्व और दीर्घमात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराया जा सकता है । जैसे —

खिल (एक क्रिया)	—	खील (एक खाद्य पदार्थ)

(अध्यापक/अध्यापिका इस तरह के अन्य शब्दों की सूची बनवाकर विद्यार्थियों से अभ्यास करवाएं।)

इसी प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों में उच्चारणगत अंतर होता है— जैसे- अल्पप्राण ध्वनि के उच्चारण में प्राणवायु कम निकलती है और महाप्राण के उच्चारण में यह अधिक निकलती है। अतः उच्चारण में पूर्णता लाने के लिए प्रतिभागियों से कठिनाई उत्पन्न करने वाली अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है।

संधि एवं संधि-विच्छेद के माध्यम से भी शब्दों के उच्चारणगत विचलन को ठीक किया जा सकता है। जैसे—

भुवनेश्वर —— भुवनेस्वर

भुवन + ईश्वर = भुवनेश्वर, न कि भुवनेस्वर।

(इस संदर्भ में प्रतिभागी को मूल शब्द की जानकारी करा देनी चाहिए।)

इसी प्रकार "व"/"ब" के अंतर को स्पष्ट करने के लिए प्रतिभागियों से "व" एवं "ब" से संबद्ध शब्दों को परिचित कराया जाय। उदाहरणार्थ —

वह/बल, वन/बन

"य"/"ज" के अंतर को स्पष्ट करने के लिए "य" से संबद्ध शब्दों से उन्हें परिचित कराया जाए जैसे - युवती, युवक, नयन, चाय। यदि सीखनेवाले को अँग्रेज़ी का ज्ञान है तो अँग्रेज़ी में (YA = य) लिखकर भी समझाने का प्रयास किया जा सकता है।

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा आदर्श उच्चारण बताने के बाद संयुक्त वर्णों का बारंबार उच्चारण करवाने से विद्यार्थियों का उच्चारण ठीक किया जा सकता है। जैसे— रक्षा, भक्त, भक्ति, शक्ति।(शिक्षक/शिक्षिका इन शब्दों का बारंबार अभ्यास करवाएंगे/करवाएंगी।)

नुक्तेवाली (.) ध्वनियों के उच्चारण के लिए ध्वनि-विज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। स्थान-प्रयत्न की शिक्षा देकर नुक़्ते से युक्त ध्वनि उच्चरित करवायी जा सकती है। उदाहरण के लिए "ज़" ध्वनि के बारे में बताया जा सकता है कि जिह्वा की नोक को वर्त्स्य (ऊपर के सामने के दाँत के पीछे का मसूढ़ा) से स्पर्श कराके "ज़" ध्वनि निकलती है। अँग्रेजी वर्णों की सहायता भी आवश्यकतानुसार ली जा सकती है। जैसे "ज़" के लिए "Z" (ज़ेड)। ज़मीन (ZAMEEN)।

जहाँ मिलती-जुलती ध्वनियों को लेकर भ्रम हो सकता है और उस कारणवश

उच्चारण प्रभावित हो सकता है, तो वहाँ अपेक्षित है कि अध्यापक/अध्यापिका स्वयं उन ध्वनियों का अलग-अलग उच्चारण करके अंतर बतायें । साथ ही, प्रतिभागियों को उन ध्वनियों के स्थान-प्रयत्न की भी सहज भाषा में जानकारी दी जाए ।

विदेशी ध्वनियों के प्रभाव से हुए उच्चारण-संबंधी दोषों को दूर करने के लिए अध्यापक/अध्यापिका अँग्रेज़ी और हिंदी वर्णमाला के प्रकृतिगत भेद को स्पष्ट कर सकते/सकतीं हैं । जैसे - अँग्रेज़ी में "GA" के रूप में "G" के साथ "A" अलग जुड़ा रहता है जबकि हिंदी में "ग" में "अ" अंतर्भुक्त होता है (ग् + अ) । इस विवेक से "कलिंग" और "अशोक" के उच्चारण में होने वाले दोष दूर किये जा सकते हैं ।

"फल" के स्थान पर "फ़ल" उच्चरित किए जाने की स्थिति में प्रतिभागियों को बताना होगा कि दोनों ओष्ठों को मिलाने से "फ" ध्वनि निकलेगी जो "ल" के साथ जुड़कर "फल" के रूप में उच्चरित होगी ।

अतिशीघ्रता की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए प्रतिभागियों के स्वभाव का अध्ययन करना अपेक्षित है । यदि यह प्रवृत्ति तात्कालिक है, तो विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । इसके विपरीत, अगर बोलने वाले की प्रवृत्ति में अतिशीघ्रता मौजूद है, तो उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से सामान्य किया जा सकता है और इसके लिए मनोचिकित्सक से परामर्श लेना उपयोगी होगा । अध्यापक/अध्यापिका, विद्यार्थियों को धैर्यपूर्वक एवं सहज ढंग से बोलने का अभ्यास करवाएं । मुख-सुख के कारण उच्चारणगत जो विकार हों, उन्हें अध्यापक/अध्यापिका, प्रतिभागियों से बारंबार शुद्ध उच्चारण करवाते हुए सुधार सकते/सकती हैं ।

उल्लेख्य है कि उच्चारण शुद्ध करवाने के संदर्भ में अध्यापक/अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों को समूह में भी बाँट सकते हैं । उदाहरणार्थ, कक्षा के विद्यार्थियों को चार समूहों में बाँट दिया जाए और प्रत्येक समूह को भ्रम उत्पन करनेवाली दो-दो ध्वनियाँ देकर उनका उच्चारण बताकर, आवृत्त करने के लिए कहा जा सकता है । फिर उन ध्वनियों से बने शब्दों को आवृत्त करने के लिए कहा जा सकता है ।

मानसिक तनाव/दबाव/भावावेश के कारण यदि उच्चारण प्रभावित हो रहा हो, तो *शिक्षक/शिक्षिका को, प्रतिभागी के माता-पिता/अभिभावकों से संपर्क करके तनाव/दबाव/*

भावावेश के कारणों को मालूम करके, उन्हें दूर करने का यत्न करना चाहिए । इस दिशा में, आवश्यकता पड़ने पर मनोचिकित्सक की सेवाएं ली जा सकती हैं ।

शारीरिक विकार के कारण हो रहे दोषपूर्ण उच्चारण के संदर्भ में भी भाषा-चिकित्सकों से परामर्श करके यथासंभव उन विकारों को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है ।

५. **मूल्यांकन**:— अंतिम बिंदु मूल्यांकन का है । मूल्यांकन का महत्त्व तथा उपयोगिता इस बात में निहित है कि इसके आधार पर इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनकी प्राप्ति किस रूप में हुई । इस तरह मूल्यांकन - कार्य प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रतिभागियों के क्रियाकलाप, क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली से संबद्ध होना चाहिए ।

मूल्यांकन के चरण में, प्रतिभागियों द्वारा पूर्व किये गए क्रियाकलाप दुहराये जाने चाहिए और उन क्रियाकलापों के आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे मालूम हो सके कि वे अशुद्धियाँ किस सीमा तक दूर हुई । उदाहरणार्थ, जिन बिंदुओं पर कठिनाइयों के निराकरण का यत्न किया गया है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं । जैसे "य" और "ज" से निर्मित शब्दों को देकर उनके सही उच्चारण की पहचान की सकती है—

यति, यान, जान, जहाज, याद, जग ।

यदि कहीं कुछ दोष रह जाते हैं, तो अध्यापक/अध्यापिका को पूर्व कराये गये क्रियाकलापों का और अधिक अभ्यास करवाना होगा और आवश्यकतानुसार वह नयी कार्यप्रणाली भी उसमें जोड़ सकता है ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

हिंदी प्रशिक्षण पैकेज

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : वर्तनी-शिक्षण :—

वाचन-प्रक्रिया की पूर्णता के लिए जिस प्रकार उच्चारण, आधार का कार्य करता है, उसी प्रकार वर्तनी का ठीक प्रयोग लेखन-सौकर्य के लिए मूल आधार का कार्य करता है। वर्तनी का संबंध लेखन से है और शुद्ध उच्चारण से लेखन और वर्तनी को सही दिशा मिलती है । भाषा में विशिष्ट क्रम के अक्षर-समूह को वर्तनी कहा जा सकता है। वर्तनी के समुचित ज्ञान के अभाव में भाषा सीखने का कार्य अधूरा रहता है । इस प्रकार हिंदी-शिक्षण-क्रम में वर्तनी-शिक्षण की महती आवश्यकता है ।

२. प्रशिक्षण के उद्देश्य :—

हिंदी वर्तनी-शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं—

क. वर्तनी की अशुद्धियों के कारणों की जानकारी करना ।

ख. उन कारणों का निराकरण करना ।

ग. वर्तनी-बोध का निर्माण करना ।

३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप :—

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिभागियों से विभिन्न क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं । उदाहरणार्थ——

क. उन्हें स्वेच्छा से किसी विषय पर अपने विचार लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना ।

ख. उन्हें, निर्धारित किसी विषय पर लिखने के लिए कहना ।

ग. उनसे श्रुतिलेख करवाना ।

इस प्रकार के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में, प्रतिभागियों की वर्तनीगत अशुद्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी । उन अशुद्धियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित कारण सामने आ सकते हैं —

मातृभाषा का प्रभाव

प्रतिभागियों के निजी भाषिक संस्कार, हिंदी वर्तनी सीखने की प्रक्रिया में बाधा

उत्पन्न कर सकते हैं ।

उदाहरणार्थ, बाँगला तथा उड़िया, दोनों भाषाओं में संयुक्ताक्षरों के उच्चारण प्रायः हिंदी से भिन्न रूप में देखने को मिलते हैं । इसका असर हिंदी वर्तनी-लेखन पर भी पड़ता है। जैसे—

स्मृति (हिं) - सृति (बाँ) स्मति (उ) ।

स्वीकार — शिकार (बाँ), स्युकार (उ)।

<u>वर्ण-भेद न कर सकने के कारण</u>

कभी-कभी वर्ण-भेद का विवेक न होने की वजह से भी वर्तनी में विकार आ जाता है । जैसे—

यदि किसी विद्यार्थी को ढ/ढ़ और ड/ड़ में भेद की जानकारी नहीं है, तो वह "पढ़ाई" को "पढाई" और "झंडा" को "झंड़ा" रूप में लिख सकता है ।

हिंदी में विदेशी भाषाओं (अरबी-फ़ारसी और अँग्रेजी आदि) के ढेर सारे शब्द प्रचलित हैं । बाँगला या उड़िया में प्रायः ऐसे शब्द इन भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप भिन्न वर्तनी में प्रयुक्त होते हैं ।उन शब्दों की सही वर्तनी से अवगत न होने के कारण हिंदी में लिखते समय प्रतिभागी प्रायः अपनी भाषा के वर्तनी-रूप का प्रयोग कर देते हैं । जैसे—

कामयाब — कामियाब (बाँगला)

वकालत — ओकालति (बाँ), ओकिलाति (उ)

वकील —— उकिल (बाँ), ओकिल (उ)

आहिस्ता —— आस्ते (बाँ) एवं (उ)

ईमान —— इमान (बाँ)

आसमान —— आशमान (बाँ)

स्कूल —— (इ) स्कुल (बाँ) एवं (उ)

ग्लास —— गेलास (बाँ), गिलास (उ)

<u>तत्सम शब्दों की सही जानकारी न होने के कारण</u>

तत्सम शब्दों की वर्तनी की सही जानकारी न होने के कारण या कहीं-कहीं उच्चारण-विकार से वर्तनी-विकार अनायास हो जाते हैं । जैसे—

चिह्न —— चिन्ह.

आह्वान —आवहान

इसी प्रकार द्वन्द्व — द्वन्द और स्वास्थ्य —स्वास्थ आदि ।

प्रत्यय-प्रयोग के नियम से अवगत न होने के कारण

प्रत्ययों की शब्द-निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है । प्रत्ययों के जुड़ने से मूल शब्द का रूप कभी अपरिवर्तित रहता है, तो कभी उनमें परिवर्तन आ जाता है । हिंदी सीखनेवाले उस स्थिति में अशुद्धि कर सकते हैं जबकि प्रत्यय जुड़ने से मूल शब्द में कुछ बदलाव आ जाता है । जैसे—

विज्ञान + इक – "वैज्ञानिक" होता है लेकिन उस "विज्ञानिक" लिख दिया जाता है ।

संधि के नियमों की जानकारी न होने के कारण

संधि के नियमों की जानकारी न होने के कारण भी वर्तनी की अशुद्धियाँ हो जाती हैं । जैसे—

"उज्ज्वल" के स्थान पर "उज्ज्ववल" या "उज्वल" लिख देना ।

मात्रा के अशुद्ध प्रयोग के कारण

विशेषतः "रेफ" के प्रयोग का समुचित ज्ञान न होने के कारण अथवा उच्चारण-विकार से वर्तनी में अशुद्धियों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है । जैसे—

ईर्ष्या —— ईष्र्या

मर्मर —— ममर्र

निर्झर—— निझर्र

झरना —— झर्ना

हरदम —— हर्दम

उल्लेख्य है कि करन (करण) प्रत्यय के योग से मात्रा-परिवर्तन हो सकता है। शब्दों में "करन" जुड़ने पर ह्रस्व इकार का परिवर्तन, दीर्घ ई में हो जाता है । जैसे—

शुद्धि + करण – शुद्धीकरण

प्रस्तुति + करण – प्रस्तुतीकरण.

ये ऐसे ही शब्द हैं जो 'करण' युक्त होने पर दीर्घमात्रा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन प्रत्यय-प्रयोग-संबंधी नियम की जानकारी न होने के कारण "शुद्धिकरण" और "प्रस्तुतिकरण"

जैसा दोषपूर्ण प्रयोग कर दिया जाता है । उपसर्गों के प्रयोग में भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं।

उच्चारण-विकार के कारण

उच्चारण-विकार से लेखन-प्रक्रिया प्रभावित होती है । परिणामस्वरूप वर्तनी में विकार आ जाना स्वाभाविक हो जाता है और विशेषतः तत्सम शब्दों के उच्चारण में प्रतिभागियों में मातृभाषा का उच्चारण-संस्कार हावी रहता है । फलस्वरूप वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं । उदाहरण के लिए —

उड़िया में "ऋ" का "रु" के रूप में उच्चारण होता है । जैसे —

ऋषि(हिं)— रुषि (उ)

अमृत(हिं)— अम्रुत (उ)

मृत्यु(हिं)— म्रुत्यु (उ)

तृष्णा(हिं)— त्रुष्णा (उ),

कृष्णा(हिं)— क्रुष्णा (उ) आदि।

बाँगला शब्द के उदाहरण —

बनाना (हिं)— बनानो (बाँ)

हम (हिं) —हाम (बाँ)

वचन-प्रयोग के कारण

इकारांत और उकारांत शब्दों के बहुवचन में रूपांतरित होने पर शब्दों की वर्तनी में प्रायः परिवर्तन हो जाता है । "ई" "इ" में और "ऊ" "उ" में बदल जाता है । जैसे—

बकरी —— बकरियाँ

बहू —— बहुएं

(द्रष्टव्य—जातिवाचक संज्ञारूपों के साथ ऐसा रूपांतर प्रायः नहीं होता है । जैसे—
भारतीय —— भारतीयों)

प्रतिभागी वर्तनीगत उलझन के कारण या तो मात्रा-परिवर्तन नहीं करते अथवा जातिवाचक शब्दों में अभ्यासवश मात्रा में बदलाव कर देते हैं जो कि त्रुटिपूर्ण होता है । जैसे—

लड़की —— लड़कीयाँ

बकरी —— बकरीयाँ

नदी —— नदीयाँ

भारतीय —— भारतियों

उल्लेखय है कि परिवर्तित किये गए शब्दों की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है ।

अपरिवर्तित वर्तनी वाले शब्द

हिंदी में दीर्घ इकरांत वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता परंतु प्रतिभागी प्रायः पूर्व अभ्यास के कारण दीर्घ मात्राओं को ह्रस्व मात्रा में लिखते हैं।
जैसे —

"दही" का रूप परिवर्तित नहीं होता लेकिन उसे "दहियाँ" के रूप में प्रयोग करना दोषपूर्ण है । कहीं-कहीं ऐसा भी दिखाई देता है कि अनुस्वारयुक्त शब्दों को अनुस्वार-रहित करके लिख दिया जाता है । जैसे - मे, कही, नही, उन्होने, जिन्होने इत्यादि । अनुस्वार के प्रयोग के अभाव में कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि शब्द का अर्थ एकदम बदल जाता है । जैसे —

कंस —— कस

वंश —— वश

कहीं —— कही

वहीं —— वही

कभी-कभी अनुस्वार (.) और अनुनासिक (ँ) में भेद न कर सकने के कारण वर्तनीगत अशुद्धि हो जाती है । जैसे — अगर "हंस" को इस रूप में न लिखकर अनुनासिक (ँ) के साथ लिखते हैं, तो वर्तनी "हँस" हो जाएगी जो क्रियावाची बनकर सर्वथा भिन्न अर्थ देगी क्योंकि "हंस" एक पक्षी का अर्थ देता है, और "हँस" हँसना क्रिया का एक रूप है ।

४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली:-

अशुद्ध वर्तनी के निराकरण के लिए सर्वप्रथम मातृभाषा और हिंदी की प्रकृति बताकर, उनमें विवेक पैदा करना होगा । इस तरह हिंदी-वर्तनी को लिखते समय प्रतिभागी अपनी मातृभाषा के उस प्रभाव से स्वयं को बचा सकते हैं जो हिंदी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करता है ।

बोलना और लिखना एक दूसरे से संबद्ध होता है । वर्तनी-शिक्षण के लिए

बोलने के लिए विभिन्न विषयों (सामाजिक, व्यक्तिगत एवं परिवेशगत विषयों) को चुन सकते हैं । विषयों के बोले गये अंशों के लिखने का अभ्यास कराया जाए । इस प्रकार बोलने एवं लिखने में तारतम्य स्थापित हो सकेगा । बोलने और लिखने में तारतम्य होने पर प्रतिभागियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और तब आदर्श पाठ-प्रक्रिया, उसके वर्तनी-विवेक के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है । इस क्रम में छपे हुए विषयों का पाठ भी आवश्यक है । फिर पठन-प्रक्रिया, लेखन-प्रक्रिया एवं वाचन-प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए ।

लेखन-प्रक्रिया के परीक्षण तथा विश्लेषण से यदि परिलक्षित हो कि मात्राज्ञान में कमी है, तो मात्राज्ञान को सुधारने का कार्य करना अपेक्षित है । उदाहरण-हेतु यदि विद्यार्थी "विधि" को "विधी" रूप में लिखता है, तो सर्वप्रथम उससे "विधि" के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना होगा । इस क्रम में उसे बताना होगा कि "ध" को ह्रस्व इ (ि) के साथ उच्चरित करना होगा और "धि" रूप में लिखना भी होगा । फिर मिलते-जुलते शब्दों को लिखवाकर इसका अभ्यास भी करवाना होगा —

विधि

निधि

प्रविधि

जलधि.

आवश्यकतानुसार इसे व्यक्तिगत और सामूहिक — दोनों स्तरों पर करवाना आवश्यक है ।

मुद्रण के तकनीकी विकास के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के कुछ वर्तनी रूपों को सरल बनाने का यत्न किया गया है । जैसे —

अङ्ग ——— अंग

बन्धु ——— बंधु

यहाँ पंचमाक्षर का सूत्र स्पष्ट करना होगा अर्थात् प्रत्येक वर्ग की व्यंजन ध्वनियों के साथ जब उसी वर्ग की अनुनासिक ध्वनि आती है, तब अनुस्वार चिह्न न होकर अनुनासिक ध्वनि (पंचामक्षर) का अर्द्धरूप-युक्त संयुक्ताक्षर निर्मित होता है । जैसे —

चञ्चल अर्थात् 'ञ्च'; मङ्गल अर्थात् 'ङ्ग';

ठण्ड 'ण्ड'; दन्त अर्थात् "न्त" ।

इसके विपरीत इन सबका सरलीकृत रूप—चंचल, मंगल, ठंड, दंत होता है। अतः प्रतिभागियों को वर्तनी के दोनों रूपों से परिचित कराना आवश्यक है ।

हिंदी के जिन संयुक्ताक्षरों से युक्त वर्तनी का उच्चारण बाँगला और उड़िया में भिन्न तरीके से होता है, उनका ज्ञान कराने के लिए प्रतिभागियों को हिंदी के संयुक्ताक्षरों से युक्त शब्दों की वर्तनी का परिचय देते हुए, अभ्यास करवाना चाहिए । जैसे —

स्मृति, स्वीकार ।

इस तरह के रूपों में पहला व्यंजन आधा और बादवाला पूरा लिखा जाता है । प्रतिभागियों को वर्तनी-बोध के लिए इस प्रक्रिया का पूरा ज्ञान आवश्यक है । अतः उच्चारण कराते हुए लिखाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर, यदि प्रतिभागी को अँग्रेज़ी का ज्ञान हो तो, अँग्रेजी अक्षरों की सहायता ली जा सकती है । जैसे —

स्वी . — Swee

स्मृ — Smri

इसी तरह य — Ya

व — Wa आदि ।

निजी भाषा के मात्रा-संस्कार के कारण प्रतिभागियों में लक्ष्य भाषा की वर्तनी में विशेषतः ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के संदर्भ में कठिनाई होती है । जैसे — फूल, दूध आदि शब्दों की वर्तनी में प्रायः ह्रस्व उ का प्रयोग अनायास, अभ्यासगत हो जाता है । जैसे — फुल, दुध । अतः दीर्घमात्रावाले शब्दों को बार-बार लिखवाना चाहिए —

जैसे — सूना

चूना

छूना

पूत

सूत

इससे शब्द विशेष का शुद्ध रूप मन में बैठ जाएगा ।

इसी तरह विदेशी या तत्सम शब्दों की हिंदी में प्रचलित वर्तनी का ज्ञान कराना आवश्यक है । प्रतिभागियों पर उनकी मातृभाषा में प्रचलित शब्दों की वर्तनी का प्रभाव रहना स्वाभाविक है । अतः धैर्यपूर्वक बारंबार वाचन के माध्यम से हिंदी वर्तनी का ज्ञान कराना होगा। फिर वर्तनी-लेखन के अभ्यास से, वर्तनी का शुद्ध रूप मन में बैठ जाएगा ।

मात्रा के अशुद्ध प्रयोग की समस्या को दूर करने के लिए देखना होगा कि कौन-सी मात्रा ग़लत हो रही है । रेफ और अनुस्वार के प्रयोग-स्थानों को चिह्नित करके बताना चाहिए । आवश्यकता होने पर वर्ण-विन्यास की सहायता ली जा सकती है । जैसे—

मर्मर — म र् म र.

निर्झर — निर् झ र

अर्थात् 'मर्मर' में रेफ-मुक्त व्यंजन ध्वनि "र" है । इस तरह के विश्लेषण से प्रतिभागी के सामने मात्रा-प्रयोग का चित्र साफ हो जाएगा ।

चिह्न में "ह्न" के प्रयोग में प्रायः वर्ण-विन्यास बदल ही जाता है । यह अनायास होता है । इसलिए इसका भी वर्ण-विन्यास करके दिखाना ज़रूरी है —

चि ह् न (चिह्न)

आ ह् वा न (आह्वान)

प्रतिभागियों को बताना होगा कि शब्द के साथ जब "करण" जुड़ता है, तो ह्रस्व ध्वनि, दीर्घ में रूपांतरित हो जाती है । जैसे —

प्रस्तुति + करण = प्रस्तुतीकरण,

शुद्धि + करण = शुद्धीकरण

शब्दों के साथ जब प्रत्यय/उपसर्ग जुड़ता है, तो उसके रूप/अर्थ-परिवर्तन की विशेषताओं को प्रतिभागियों को लिखित रूप में बताना आवश्यक है। जैसे — स्थान में "प्र" उपसर्ग जुड़कर "प्रस्थान" शब्द निर्मित हुआ है । "स्थान" का अर्थ है — जगह । लेकिन "प्र" उपसर्ग के जुड़ने से जो "प्रस्थान" शब्द बना, उसका अर्थ है — चलना ।

इसी प्रकार प्रतिभागियों को संधि के नियमों की जानकारी दी जाए । इससे वर्तनी संबंधी कई अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं । संधि के नियमों की जानकारी हो जाने से "उज्ज्वल" "तदुपरांत" के स्थान पर "उज्जवल" या "उज्वल" और "तदोपरांत" जैसा अशुद्ध नहीं लिखा जाएगा । साथ ही, एक ही शब्द के शुद्ध रूप सहित कई अशुद्ध रूपों को विकल्प रूप में दिया जाए । प्रतिभागियों को शुद्ध रूप रेखांकित करने को कहा जाए । जैसे —

मानुष, मानुस, मानूश, मानुप, मनुष्य

जीबन, जीवन, जिवन ।

५. मूल्यांकन

प्रतिभागियों के सक्रिय प्रयास से उन्हें वर्तनी-संबंधी जो ज्ञान हुआ, उसका मूल्यांकन करना, साथ ही, प्रत्येक प्रतिभागी की ग्रहणक्षमता का आकलन करना अपेक्षित है । जैसे विभिन्न मात्रा-सम्पन्न शब्द, एक प्रतिभागी दूसरों के सामने प्रस्तुत करेगा, दूसरे प्रतिभागी इसे स्व-रचित वाक्य में प्रयुक्त करेंगे । दो प्रतिभागियों में से एक ने दूसरे के सामने खट्टा, आम, गिरा, हरा, से, पेड़ शब्द रखा । दूसरे ने वाक्य बनाया — पेड़ से हरा खट्टा आम गिरा ।

निरंतर के अभ्यास से प्रतिभागियों के वर्तनी-बोध का विकास होगा । जितना अधिक अभ्यास होगा, यह बोध उतना ही बढ़ेगा । यह व्यावहारिक पक्ष है । सैद्धांतिक चर्चा पहला स्तर है एवं व्यावहारिक प्रयोग दूसरा स्तर है । व्यावहारिक प्रयोग में — पढ़ना और लिखना उसके कारक तत्त्व हैं । पढ़ने और लिखने की उपलब्धियों के परीक्षण के बाद श्रुतिलेखन करवाना होगा ।

श्रुतिलेखन करवाने में सर्वप्रथम छोटे-छोटे शब्द, तत्पश्चात् छोटे-छोटे वाक्य और फिर अनुच्छेदों को लिया जा सकता है । शब्द, वाक्य और अनुच्छेदों के श्रुतिलेखन में यह ध्यान रखना होगा कि उनमें मात्राओं का भी श्रुतिलेखन करवाया जाए ।

अध्यापक/अध्यापिका मूल्यांकन-प्रक्रिया से विद्यार्थियों के वर्तनी-ज्ञान की परख करें और यदि वर्तनी में अशुद्धियाँ हो रही हों, तो सामूहिक रूप से वर्तनी का शुद्ध रूप लिखवाएं । ऐसा करने से वर्तनी की अशुद्धियाँ अपेक्षाकृत दूर होती जाएंगी ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

हिंदी प्रशिक्षण पैकेज

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : अर्थ-बोध-शिक्षण :—

अहिंदी/हिंदी भाषी प्रतिभागियों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराते समय अर्थ-बोध-संबंधी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं । सभी भाषाओं को सीखने में अर्थ-बोध से जुड़ी समस्याएं आती हैं। इसी तरह हिंदी भाषा सीखते समय विद्यार्थियों के सामने उसे सीखने संबंधी मानसिक अपरिपक्वता, अपरिचित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण अर्थ-बोध-प्रक्रिया में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे विशेष रूप से अहिंदी भाषी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, दोनों को हिंदी-शिक्षण-प्रक्रिया में कठिनाइयों का अनुभव होता है । इस संदर्भ में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देकर हिंदी सीखना-सिखाना आसान किया जा सकता है ।

२. प्रशिक्षण के उद्देश्य-

हिंदी सिखाते समय अर्थ-बोध-शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं —

क. अर्थ-बोध में आनेवाली कठिनाइयों की जानकारी ।

ख. उनके निराकरण के उपाय सुझाना ।

३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप :-

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिभागियों से निम्नलिखित क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं —

(क) उन्हें स्वेच्छा से कुछ वाक्य बोलने तथा लिखने के लिए प्रेरित करना ।

(ख) प्रतिभागियों को प्रथमतः अर्थ-बोध का तात्पर्य तथा उसके महत्त्व को समझाया जाए ।

(ग) प्रतिभागियों को समूहों में बाँटकर अर्थ-बोध पर परस्पर विचार-विमर्श करने का अवसर देना ।

(घ) उनसे प्रश्न पूछते हुए उनके उत्तर को ध्यान से सुनना ।

इस तरह के क्रियाकलापों को करवाते हुए प्रतिभागियों की अर्थ-बोध-संबंधी क्षमता के विषय में जानकारी प्राप्त होगी । उन अशुद्धियों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित कारण सामने आ सकते हैं —

अपरिचित शब्दों का प्रयोग

अहिंदी भाषा-भाषियों के समक्ष, पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय, अवधी, ब्रज, अरबी-फ़ारसी, आदि भाषाओं के शब्दों की उपस्थिति से अर्थ-बोध में बाधा उत्पन्न हो सकती है । जैसे —— हौं (ब्रजभाषा), सौंसत (अवधी), ज़रा (अरबी) आदि शब्दों की जानकारी न होने के कारण प्रतिभागियों को अर्थ-बोध-प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है । यदि विद्यार्थी हिंदी भाषाभाषी है तो उसके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है, क्योंकि यदि उसकी मातृभाषा अवधी है, तो वह ब्रजभाषा-प्रयोगों को समझने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है । इसी तरह, ब्रजभाषा-भाषी विद्यार्थी को अवधी-प्रयोगों को समझने में असुविधा हो सकती है ।

उपर्युक्त प्रसंग की जानकारी का न होना।

उपर्युक्त प्रसंग में शब्द-प्रयोग न होने से अर्थ-बोध में कठिनाई आती है । जैसे, पंकज और नीरज, ये दोनों "कमल" के पर्याय हैं लेकिन प्रसंग-सापेक्ष दोनों के प्रयोग किये जाने चाहिए । कारण, दोनों की अर्थ-व्यंजना भिन्न-भिन्न है ।

आधारभूत पृष्ठभूमि से अवगत न होना

शब्द विशेष की आधारभूत पृष्ठभूमि की जानकारी न होने की वजह से अर्थ-बोध में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है । जैसे - "मृगराज" शब्द को लिया जा सकता है । यदि हम "मृग" शब्द का हिरणवाची अर्थ ही जानते हैं तो मृगराज के सिंह विषयक अर्थ को ग्रहण करने में कठिनाई आती है लेकिन जब हमें विदित होता है कि पहले "मृग" शब्द से पशु का भी अर्थ लिया जाता था, तब पशुओं का राजा अर्थात् सिंह (मृगराज) वाची अभिप्राय प्रकट होता है।

वर्तनी का अशुद्ध प्रयोग

वर्तनी के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ-बोध में बाधा आती है । जैसे — "दिन" के स्थान पर अगर "दीन", कुल के स्थान पर "कूल" लिख दिया जाए, तो अर्थ एकदम भिन्न हो जाएगा । फलस्वरूप अर्थ-बोध में भ्रम उत्पन्न होगा ।

मातृभाषा और हिंदी में प्रयुक्त सामान्य शब्द की अर्थ-भिन्नता

अहिंदी भाषी शिक्षार्थी, हिंदी भाषा को सीखते समय कभी-कभी ऐसी स्थिति में पड़ जाता है कि उसकी मातृभाषा और हिंदी, दोनों में, रूप के आधार पर तो कई शब्द एक समान होते हैं किंतु उनमें अर्थ-भेद होता है । उदाहरणार्थ "पुआ" शब्द को लिया जा सकता है । उड़िया में यह शब्द बेटे के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी में

एक खाद्य पकवान का अर्थ देता है । इसी तरह "दया" शब्द को देखा जा सकता है । हिंदी में "दया" शब्द किसी व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखकर, उससे सहानुभूति, करुणा दिखाने के लिए व्यवहृत होता है जबकि उड़िया में इसे "कृपया" के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं । इस संदर्भ में "चिता" शब्द को देखा जा सकता है । उड़िया में, धार्मिक अनुष्ठान में ज़मीन पर हाथ से बनायी गयी अल्पना के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी में, यह हिंदुओं के मरणोपरांत दाह-संस्कार हेतु लकड़ियों को एकत्रकर बनाए गए ढेर के लिए व्यवहृत होता है ।

४. क्रिया-कलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली:-

अर्थ-बोध संबंधी कठिनाइयों और उनके कारणों की जानकारी करने के बाद अपेक्षित है कि उनको दूर करने के उपायों पर विचार किया जाए । यहाँ क्रमशः ऐसे सुझावों का उल्लेख किया जा रहा है —

अपरिचित शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न कठिनाइयों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रतिभागियों को यह बताना चाहिए कि वे जहाँ तक हो सके, वाक्य में अपरिचित शब्दों का प्रयोग न करें । यदि पाठ्यपुस्तक में ऐसे शब्द हों, तो भाषा-शिक्षक/शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे उनके स्रोत तथा अर्थ से शिक्षार्थियों को अवगत कराएं । जैसे —

हौं (ब्रजभाषा) — मैं

साँसत(अवधी) — बहुत बड़ा कष्ट

ज़रा (अरबी) — थोड़ा

शब्द का उपयुक्त प्रसंग में व्यवहार न होने के कारण अर्थ-बोध में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में भाषा-शिक्षक/शिक्षिका को चाहिए कि वे प्रसंग को भली-भाँति समझाएं और तत्पश्चात् शब्द का प्रसंग-सापेक्ष प्रयोग करवाएं । उदाहरणार्थ यदि विषम परिस्थिति और दयनीय दशा में पड़े किसी परिवार का बच्चा प्रगति करके ख्याति अर्जित करता है, तो उसके लिए "नीरज" का प्रयोग न करवाकर "पंकज" का व्यवहार करना ठीक होगा । कारण यह कि "नीरज" स्वच्छ जल (नीर) में निकले कमल के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कीचड़ (पंक) में विकसित कमल के लिए "पंकज" का व्यवहार होता है । इसको इस तरह भी समझाया जा सकता है —

"नीर" से जन्मा —— नीरज

"पंक" से जन्मा —— पंकज

कभी-कभी वाक्य में ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनकी आधारभूत पृष्ठभूमि की जानकारी न होने से प्रतिभागी को अर्थ-बोध में कठिनाई होती है । ऐसी दशा में प्रतिभागियों को शब्द विशेष की पृष्ठभूमि की जानकारी दी जानी चाहिए । कहने का तात्पर्य है कि सीखनेवाले के समक्ष किसी घटना का उल्लेख किया जाए । जैसे — "अभियान" शब्द को लिया जा सकता है। इस शब्द को समझाने के लिए परिवेश में सफाई के अभाव में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं तथा सफाई के लिये अपेक्षित सामूहिक प्रयास के संबंध में समझाया जाए और यह बताया जाए कि किसी समस्या को हल करने के लिए सामूहिक महत् प्रयास "अभियान" कहलाता है । इस प्रकार, आधारभूत पृष्ठभूमि की जानकारी देने से प्रतिभागी "अभियान" शब्द का अर्थ समझ सकता है ।

वर्तनी के अशुद्ध प्रयोग से अर्थ-बोध में बाधा उत्पन्न हो सकती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रतिभागियों को बताना चाहिए कि शब्द-प्रयोग करने के क्रम में वर्तनी का शुद्ध रूप व्यवहृत करें । इसके लिए शिक्षक/शिक्षिका श्यामपट पर "कुल" और "कूल" दोनों शब्दों को लिखें एवं दोनों का अर्थ-भेद बताएं ताकि अर्थ-बोध की कठिनाई दूर हो । उदाहरणार्थ —

कुल — समूह/जोड़

कूल — किनारा

दोनों के अर्थ स्पष्ट करने के बाद शिक्षक/शिक्षिका विद्यार्थियों को "कुल"/"कूल" को प्रयुक्त करते हुए अलग-अलग वाक्य-निर्मित करने के लिए कहें और सही वाक्य-प्रयोगों को विद्यार्थियों से श्यामपट पर लिखवाएं ।

मातृभाषा और हिंदी में प्रयुक्त समान शब्द की अर्थ-भिन्नता से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए हिंदी भाषा-शिक्षक/शिक्षिका को चाहिए कि वे प्रतिभागी की मातृभाषा और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करें । इस संदर्भ में समान-असमान शब्दों की सूची को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है —

(१) रूप और अर्थ, दोनों की दृष्टि से समान ।

(२) रूप की दृष्टि से समान, लेकिन अर्थ की दृष्टि से असमान ।

ऐसी सूची बनाकर हिंदी भाषा-शिक्षक/शिक्षिका इस बात से भली-भाँति अवगत हो जाएगा/जाएगी कि अहिंदी भाषी शिक्षार्थी, हिंदी सीखने के क्रम में, किन-किन शब्दों के प्रयोग के

के संदर्भ में भ्रमित हो सकता है और उस भ्रम को दूर करने में शिक्षक/शिक्षिका को अपेक्षाकृत सफलता मिल सकती है ।

५.. मूल्यांकनः—

अंतिम बिंदु मूल्यांकन का है । मूल्यांकन की प्रक्रिया का महत्त्व इस बात में है कि इसके आधार पर इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किये गए थे, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई । प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतिभागियों के क्रियाकलाप जुड़े होने चाहिए ।

इस चरण में प्रतिभागियों को अर्थ-बोध संबंधी प्रश्न दिये जाएं । इस क्रम में उन्हें कुछ शब्द देकर उनके अर्थ लिखने को कहा जाए । इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को कुछ वस्तुनिष्ट प्रश्न दिये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, किसी शब्द के अर्थ के लिए चार मिलते-जुलते विकल्प दिये जाएं जिनमें से एक ही शुद्ध हो । विद्यार्थियों से उचित विकल्प पर सही (✓) का चिह्न लगाने के लिए कहा जाए ।

मूल्यांकन के अंतगर्त कुछ शब्दों को उल्लिखित किया जाए और उनके अर्थ भी दे दिये जाएं । तदुपरांत प्रतिभागियों को निर्देश दिये जाएं कि वे निर्दिष्ट अर्थ को ध्यान में रखते हुए वाक्य-रचना करें ।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द चुनकर दिए जाएं जो रूप की दृष्टि से मातृभाषा और हिंदी, दोनों में एक जैसे प्रयुक्त होते हों लेकिन अर्थ के स्तर पर उनमें भिन्नता हो । प्रतिभागियों को निर्देश दिये जाएं कि वे उस शब्द का वह अर्थ लिखें जो उनकी मातृभाषा में व्यवहृत होता हो, फिर उसी शब्द का वह अर्थ लिखें जो हिंदी में प्रयुक्त होता हो ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
हिंदी प्रशिक्षण पैकेज

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तुः वाक्य-संरचना शिक्षण :—

अहिंदी भाषी क्षेत्र के शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षार्थियो की हिंदी भाषा का ज्ञान करते-करवाते समय, "वाक्य-संरचना" के संदर्भ में कई कठिनाइयें उत्पन्न हो सकती हैं । यों तो हिंदी भाषियों को भी वाक्य-संरचना की प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु अहिंदी भाषा-भाषियों को हिंदी सीखते समय लिंग-भेद, वचन-भेद तथा कुछ कारकों की विभक्तियों के कारण वाक्य-संरचना में उपस्थित होनेवाली समस्याओं का विशेष रूप से सामना करना पड़ सकता है । उड़िया और बाँगला भाषा के विषय में कहा जा सकता है कि इनमें लिंग-भेद के कारण वाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है । यही कारण है कि उड़िया और बाँगला भाषी शिक्षक/शिक्षिका एवं शिक्षार्थी हिंदी-शिक्षण प्रक्रिया में कठिनाइयें का अनुभव करते हैं । इस संदर्भ में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देकर हिंदी सीखना-सिखाना सरल किया जा सकता है ।

२. प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

हिंदी सिखाते समय वाक्य-संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं—

(क) वाक्य-संरचना में कठिनाइयें की जानकारी ।

(ख) उनके निराकरण के उपाय सुझाना ।

३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप :-

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिभागियों से निम्नलिखित क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं--

(क) प्रतिभागियें को स्वेच्छा से कुछ वाक्य-रचना करने के लिए प्रेरित करना ।

(ख) उन्हें किसी विषय पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(ग) उन्हें समूह में बाँटकर उनसे "वाक्य-संरचना" के नियमों तथा वाक्य-संरचना में आगत कठिनाइयें के विषय में परस्पर विचार-विमर्श करवाना ।

इस प्रकार के क्रियाकलापों को करवाने से प्रतिभागियें की वाक्य-संरचना संबंधी दक्षता को जानने का अवसर मिलेगा । उनकी अशुद्धियें का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित संभावित कारण प्रकाश में आ सकते हैं—

मातृभाषा का प्रभाव

बाँगला और उड़िया भाषा में वाक्य के कर्त्ता के लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हिंदी भाषा में पड़ता है---

बाँगला	उड़िया	हिंदी
राम वाड़ी जाच्छे ।	राम घर कू जाउछी ।	राम घर जाता है ।
सीता वाड़ी जाच्छे ।	सीता घर कू जाउछी ।	सीता घर जाती है ।
अब्दुल वाड़ी जाच्छे ।	अब्दुल घर कू जाउछी ।	अब्दुल घर जाता है ।

इस कारणवश बाँगला और उड़िया भाषियों से हिंदी भाषा की वाक्य-रचना में क्रिया-प्रयोग की भूल हो सकती है, जैसे —

राम घर जाता है । (शुद्ध)

सीता घर जाता है । (अशुद्ध)

अब्दुज घर जाती है । (अशुद्ध)

जानकारी न होने के कारण

कर्त्ता कारक की विभक्ति "ने" के प्रयोग के नियमों को न जानने के कारण, प्रायः अहिंदी भाषी छात्र और शिक्षक/शिक्षिका वाक्य-रचना में त्रुटि कर सकते हैं, जैसे —

गीता ने भात खायी ।

पाल ने रोटी खाया ।

कभी-कभी विभक्ति का लोप मिलता है, जैसे —

माँ कहानी कही ।

मैं पाठ पढ़ लिया हूँ ।

कभी-कभी आवश्यकता न होने पर भी "ने" का प्रयोग मिलता है, जैसे —

आज मैंने स्कूल नहीं गया ।

उसने हँसा ।

जानकारी न होने के कारण निम्नलिखित भूलेंभीदेखने को मिलती हैं---

(क) विभक्ति की वचन से असंगति — जैसेः- राम के घोड़ा ।

प्रशांत का बेटे ।

(ख) विभक्ति की लिंग से असंगति — जैसेः- जॉन की नई मकान ।

मदन का पुस्तक ।

विद्यालय के कुछ लड़कियाँ पढ़ने में अच्छी हैं ।

४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्य-प्रणाली:-

वाक्य-संरचना संबंधी अशुद्धियों तथा उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित है कि उनको दूर करने के उपाय भी सुझाए जाएं । यहाँ क्रमशः ऐसे सुझावों का उल्लेख किया जा रहा है ।

प्रतिभागी मातृभाषा की वाक्य-संरचना तथा हिंदी भाषा की वाक्य-संरचना के नियमों के बारे में जानकारी करे । वह पहले श्यामपट पर उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लिखे, जैसे —

उड़िया भाषा में —

बालिकाटि जाउछी ।

बालकटि जाउछी ।

बाँगला भाषा में —

मेयेटि जाच्छे ।

छेलेटि जाच्छे ।

हिंदी भाषा में —

लड़की जा रही है ।

लड़का जा रहा है ।

हिंदी सीखनेवालों की वाक्य-संरचना में जो दोष आ जाते हैं, उनको दूर करने के लिए वाक्य-संरचना संबंधी सामान्य नियमों की जानकारी करायी जाए ।

प्रतिभागियों को विभक्ति-सहित एवं विभक्ति-रहित वाक्य-संरचना के नियमों की जानकारी दी जाए । उदाहरणार्थ, उन्हें बताया जा सकता है कि —

जब कर्त्ताकारक की विभक्ति "ने" हो, तो क्रिया, कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी, जैसे —

लड़की ने रोटी खाई ।

लड़की ने भात खाया ।

राम ने रोटी खाई ।

स्त्री ने गीत गाया ।

जब कर्त्ता कारक की विभक्ति "ने" न हो, तो क्रिया, कर्त्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी, जैसे —

सीता आती है ।

राम जाता है ।

५. मूल्यांकन :—

अंतिम बिंदु मूल्यांकन का है । इसका महत्त्व तथा उपयोगिता इस बात में निहित है कि इसके आधार पर हम इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किये गए थे, उनकी प्राप्ति किस रूप में हुई । इस तरह, मूल्यांकन-कार्य, प्रशिक्षण के उद्देश्य, प्रतिभागियों के क्रियाकलाप, क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली से संबद्ध होना चाहिए ।

इस चरण में प्रतिभागियों से वाक्य-संरचना संबंधी प्रश्न दुहराए जाएं और वाक्य देकर उनकी शुद्धि-अशुद्धि की क्षमता का पता लगाया जाए । इससे उनकी वाक्य-संरचना संबंधी क्षमता का पता लगेगा और उनके दोषों में कितना सुधार हुआ है, इसकी भी जानकारी हो सकेगी। यदि कहीं कुछ दोष रह जाते हैं, तो अध्यापक/अध्यापिका को पूर्व कराए गए क्रियाकलापों का और अधिक अभ्यास करवाना होगा और आवश्यकतानुसार वह नई कार्यप्रणाली भी उसमें जोड़ सकता/सकती है ।

उनका विश्लेषण करने पर निम्नलिखित संभावित कारण प्रकाश में आ सकते हैं —

मातृभाषा का प्रभाव

अहिंदी भाषा-भाषियों से, मातृभाषा के प्रभाव के कारण, हिंदी सीखते समय लिंग-प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं । बाँगला और उड़िया में लिंग-व्यवस्था, हिंदी से भिन्न है । वह इस रूप में कि इन दोनों भाषाओं में, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक (क्लीव) लिंग की अवधारणा तो है लेकिन उनका व्याकरणिक प्रयोग नहीं होता । इसके विपरीत, हिंदी में सिर्फ दो लिंग हैं— पुलिंग और स्त्रीलिंग । साथ ही, हिंदी में लिंग-प्रयोग व्याकरणिक है । ऐसी स्थिति में बाँगला और उड़िया भाषा-भाषियों द्वारा हिंदी-प्रयोग करने के क्रम में लिंग-निर्धारण की समस्या प्रायः आ जाती है । यह कठिनाई विशेष रूप से उन शब्दों को लेकर हो सकती है जिन्हें इन भाषाओं में नपुंसकवाची माना जाता है । उदाहरणार्थ "डंडा" शब्द को लिया जा सकता है । हिंदी में यह शब्द पुलिंगवाची है, लेकिन बाँगला और उड़िया भाषी इसे नपुंसकवाची के रूप में समझते हैं । हिंदी में इसे स्त्रीलिंग में रखें या पुलिंग में, इस बात को लेकर वे भ्रमित हो सकते हैं ।

जानकारी न होने के कारण

कभी-कभी एक वस्तु के दो पर्यायशब्द भिन्न लिंग में प्रयुक्त होते हैं और तत्संबंधी ज्ञान न होने के कारण लिंग-निर्णय में असुविधा हो सकती है, जैसे —

वायु (स्त्री)

पवन (पु)

ये दोनों शब्द "हवा" के पर्याय होते हुए भी, भिन्न लिंगों में व्यवहृत होते हैं ।

ऐसा भी संभव है कि एक ही शब्द दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो और दोनों संदर्भों में लिंग की भिन्नता दिखाई दे, जैसे —

"हार" शब्द को देखा जा सकता है । यह शब्द "पराजय" के अर्थ में आने पर स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि "माला" के रूप में इसका लिंग, पुलिंगवाची हो जाता है ।

सादृश्य के कारण

कभी-कभी शब्दों में सादृश्य (स्वरूप आदि के आधार पर) के कारण लिंग-निर्णय भी तदनुरूप कर देने की आशंका हो जाती है, जैसे —

कौआ (पु), कोयल (स्त्री)

ये पक्षी स्वरूप के आधार पर परस्पर सादृश्य रखते हैं । ऐसी स्थिति में लिंग-निर्धारण-क्रम में पुलिंग को स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग को पुलिंग किया जा सकता है ।

व्यक्तिगत कारण

कई बार प्रतिभागी वाक्य बनाने के क्रम में, अपने लिंग के अनुरूप सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं जिससे लिंग-प्रयोगगत अशुद्धि हो जाती है, जैसे —

मेरी नाम सीता है ।

वचन का प्रभाव

प्रतिभागी कभी-कभी एकवचन में सही लिंग का प्रयोग करते हैं, किंतु उसी शब्द के बहुवचन रूप में लिंग का दोषपूर्ण प्रयोग कर देते हैं । जैसे —

गाय चरती है । (एकवचन)

गायें चरते हैं । (बहुवचन)

हिंदी में लिंग-विधान संबंधी सुनिश्चित नियम का अभाव

प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है । उस प्रकृति के अंतर्गत उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं । हिंदी भाषा की यह प्रकृति है कि इसमें लिंग-निर्धारण की ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है कि उसको आत्मसात् करके सहज रूप से शब्दों को स्त्रीलिंग या पुलिंग में वर्गीकृत करके उनका प्रयोग किया जा सके । ऐसी स्थिति में, हिंदी-प्रयोग करते समय विभिन्न शब्दों के लिंग-निर्धारण में उड़िया/बाँगला भाषी प्रतिभागियों को कठिनाई होती है ।

४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली—

प्रतिभागियों के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में जो जानकारियाँ हुईं, उनके परिप्रेक्ष्य में कार्यप्रणाली व्यवहृत करने पर क्रियाकलाप सार्थक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं । उपर्युक्त संभावित कारणों की जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित है कि उनको दूर करने के उपाय भी सुझाए जाएं । इस संदर्भ में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है —

प्रतिभागी को स्पष्ट कर दिया जाए कि हिंदी में केवल पुलिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग है, उसमें नपुंसक लिंग का कोई विधान नहीं है । अतः प्रत्येक अप्राणिवाचक संज्ञा का या तो पुलिंग में प्रयोग होता है या स्त्रीलिंग में । इसलिए प्रत्येक शब्द के लिंग-निर्णय पर प्रतिभागियों को ध्यान देना आवश्यक है । इसके लिए शिक्षक/शिक्षिका के द्वारा उन्हें लिंग-निर्णय संबंधी अपेक्षित दिशा-निर्देश दिये जाएं ।

प्रतिभागियों को उन पर्यायवाची और भिन्नार्थक शब्दों की जानकारी दे देनी चाहिए, जिनके लिंग में भिन्नता होती है । जैसे —

पवन —— पुलिंग, वायु —— स्त्रीलिंग (पर्यायवाची शब्द)

हार (पराजय) —— स्त्रीलिंग, हार (माला) पुलिंग (भिन्नार्थक शब्द)

यदि ऐसे शब्दों की एक सूची वना दी जाए, तो प्रतिभागियों को लिंग-निर्णय में सुविधा हो सकती है ।

प्रतिभागी को स्पष्ट कर दिया जाए कि सादृश्य - विधान, लिंग-निर्णय का आधार नहीं हो सकता । शिक्षक/शिक्षिका उन्हें कुछ उदाहरण द्वारा समझा सकते/सकती हैं, जैसे—

कौआ — (पुलिंग), कोयल — (स्त्रीलिंग)

प्रत्येक स्थिति में वोलनेवाले (वक्ता) के लिंग के अनुसार वाक्य में शब्दों का लिंग निर्धारित नहीं होता । शिक्षक/शिक्षिका प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर सकता/सकती है । उदाहरण —

छात्रा — मेरी नाम सीता है । (अशुद्ध)

अध्यापक/अध्यापिका-मेरा नाम सीता है । (शुद्ध)

छात्र — आज मेरे बहन की शादी है । (अशुद्ध)

अध्यापक/अध्यापिका-आज मेरी वहन की शादी है । (शुद्ध)

अध्यापक/अध्यापिका — उपर्युक्त "शुद्ध" वाक्यों में "नाम" के पुलिंग-प्रयोग से "मेरा" और "वहन" के स्त्रीलिंग-व्यवहार के कारण "मेरी" प्रयुक्त किया गया है ।

प्रतिभागी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हिंदी में वचन बदलने से लिंग नहीं वदलता । जैसे —

गाय चरती है । (एकवचन)

गायें चरती हैं । (बहुवचन)

उन्हें बताया जा सकता है कि केवल जहाँ दो विपरीत लिंग के शब्दों को समस्तपद के रूप में या "और" से संयुक्तरूप में अथवा उन दोनों का एक सार्वनामिक रूप देकर प्रयोग किया जाए, तो वहाँ उनका पुलिंग में प्रयोग किया जाता है, जैसे —

माता-पिता मंदिर में पूजा कर रहा है । (अशुद्ध)

माता-पिता मंदिर में पूजा कर रहे हैं । (शुद्ध)

भाई और बहन खेल रहा है । (अशुद्ध)

भाई और बहन खेल रहे हैं । (शुद्ध)

वे (गाय और बैल) चर रहा है । (अशुद्ध)

वे (गाय और बैल) चर रहे हैं । (शुद्ध)

हिंदी में लिंग-निर्णय संबंधी स्थिति के बारे में प्रतिभागियों को बताया जा सकता है कि यह हिंदी की प्रकृति है । इस क्रम में उन्हें अपवाद के साथ जो नियम हैं, उनके विषय में भी जानकारी देनी होगी । यहाँ ऐसे कुछ नियमों को उदाहरणार्थ उल्लिखित किया जा सकता है —

(क) नर प्राणियों के नाम पुलिंग में होते हैं — मोहन, राम, रहीम ।

(ख) मादा (स्त्री) प्राणियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं — गीता, माला, शकीला ।

(ग) द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुलिंग में होते हैं — दूध, घी, तेल, पानी, सिरका आदि ।

(अपवाद-स्याही आदि स्त्रीलिंग) ।

(घ) रत्नों के नाम प्रायः पुलिंग में होते हैं — हीरा, पन्ना, मूँगा, पुखराज आदि ।

(अपवाद - मणि, मोती, आदि स्त्रीलिंग)

(ङ) भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं — हिंदी, बाँगला, उड़िया, गुजराती, आदि ।

इसी तरह विचार करके अन्य नियमों का भी निर्धारण करके (यदि अपवाद हों, तो उन्हें भी बताएं), उनकी सूची प्रतिभागियों को दी जाए । उदाहरण के लिए, शिक्षक/शिक्षिका उन्हें बता सकते/सकती हैं कि अपेक्षाकृत कठोर प्रकृति या बड़े आकार वाली चीज़ें प्रायः पुलिंग होती हैं— पत्थर, लोहा, पहाड़, सोफा, बाल (केश) आदि ।

बाल (केश) से अपेक्षाकृत छोटे आकारवाली होने के कारण मूँछ, दाढ़ी को स्त्रीलिंग की कोटि में रखा जा सकता है ।

(च) हिंदी का लिंग-विधान मूलतः प्रयोगाश्रित है, इस तथ्य की ओर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया जाए और ऐसी स्थिति में अपेक्षित है कि प्रतिभागियों को अध्ययन एवं प्रयोग के ऐसे अवसर दिये जाएं जिससे लिंग-निर्णय पर उनकी पकड़ सशक्त हो सके । उनकी रुचि, अवस्था को देखते हुए उन्हें पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए । इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसे लोगों के साथ संवाद करने के अवसर दिये जाएं, जिनका लिंग-प्रयोग-विवेक ठीक हो । इस क्रम में प्रतिभागियों को दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रमों को ध्यान से सुनने के लिए भी कहा जा सकता है ।

५. मूल्यांकन :--

अंतिम बिंदु मूल्यांकन का है । इसका महत्त्व तथा उपादेयता इस बात में है कि इसके आधार पर हम इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनकी प्राप्ति किस रूप में हुई । प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतिभागियों के क्रियाकलाप जुड़े होने चाहिए ।

इस चरण में, प्रतिभागियों से लिंग-परिवर्तन एवं प्रयोग-संबंधी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनसे पता चल सके कि लिंग-निर्णय संबंधी उनकी कठिनाइयाँ किस सीमा तक दूर हुईं । यदि कहीं कठिनाई रह जाती है, तो अध्यापक/अध्यापिका को पूर्व कराए गए क्रियाकलापों का और अधिक अभ्यास करवाना होगा । प्रत्येक शब्द के लिंग-निर्णय में प्रतिभागी को कहाँ तक सफलता मिली है, अप्राणिवाचक शब्दों के पुलिंग एवं स्त्रीलिंग रूप को पहचानने का उनका ज्ञान कहाँ तक विकसित हुआ है, पर्यायवाची और भिन्नार्थक शब्दों के लिंग-संबंधी उनकी जानकारी किस सीमा तक पहुँची है, इन सबका पता लगाया जाए । इसके लिए प्रतिभागियों को वस्तुनिष्ठ ढंग के प्रश्न दिये जा सकते हैं । वे प्रश्न इस ढंग से निर्मित किये जाएं कि पता चल सके कि प्रतिभागियों का लिंग-संबंधी विवेक किस सीमा तक विकसित हुआ । इनसे उनकी लिंग-निर्णय की क्षमता का पता लगेगा और लिंग-संबंधी दोषों के सुधार में उनकी कितनी प्रगति हुई है, इसकी जानकारी हो सकेगी ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
हिंदी प्रशिक्षण पैकेज

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : वचन-शिक्षण :—

अहिंदी/हिंदी क्षेत्र के छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराते समय "वचन" को लेकर कठिनाई पैदा होती है । एकवचन से बहुवचन बनाने की प्रक्रिया सभी भाषाओं में है । एकवचन में प्रायः कोई प्रत्यय जोड़कर ही बहुवचन बनाए जाते हैं । हिंदी में लिंग-भेद के आधार पर बहुवचन रूप बनाने के लिए विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग होता है और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके बहुवचन रूप, एकवचन जैसे ही होते हैं । उड़िया और बाँगला भाषी शिक्षक/शिक्षिका एवं विद्यार्थी हिंदी सीखने की प्रक्रिया में वचन-प्रयोग में कठिनाई का अनुभव करते हैं । इस संबंध में कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान देकर हिंदी वचन-प्रयोगों को सीखना-सिखाना आसान किया जा सकता है ।

२. प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

हिंदी सिखाते समय वचन-परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं--

(क) वचन के दोषपूर्ण प्रयोग के कारणों की जानकारी ।

(ख) उन कारणों को दूर करना ।

३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप :-

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिभागियों से निम्नलिखित क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं —

(क) कुछ शब्द देकर विभिन्न वचनों के आधार पर प्रयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए ।

(ख) सविभक्ति और निर्विभक्ति शब्द देकर विभिन्न वाक्यों में उनका प्रयोग करवाना।

(ग) उन्हें समूह में बाँटकर वचन से प्रभावित, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के रूपों वाले वाक्यों पर परस्पर विचार-विमर्श का अवसर देना ।

(घ) उनसे प्रश्न पूछते हुए उनके उत्तरों में वचन-संबंधी प्रयोगों को ध्यान से सुनना ।

इस तरह के क्रियाकलापों से प्रतिभागियों की वचन-संबंधी दक्षता को जानने का अवसर मिलेगा । उनकी अशुद्धियों का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित संभावित कारण प्रकाश में आ सकते हैं —

मातृभाषा का प्रभाव

हिंदी में वचन-परिवर्तन करते समय उड़िया भाषी विद्यार्थी मातृभाषा में उपलब्ध प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे —

सब —— बालिकासब

लोग —— आदमीलोग

यहाँ स्पष्ट है कि उड़िया-भाषी, हिंदी-प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप देने के स्थान पर उनके एकवचन रूप के साथ सब/लोग/गण जोड़कर वचन-परिवर्तन कर देते हैं ।

जानकारी न होने के कारण

कभी-कभी जानकारी न होने के कारण वचन-परिवर्तन करते समय उसमें विकार आ जाता है । जैसे —

बाबा — बाबे

चाचा — चाचे

चिड़िया — चिड़ियाँएं

सदन — सदनें

विदेशी भाषा की प्रकृति का प्रभाव

हिंदी भाषा में व्यवहार होने वाले विदेशी भाषा के शब्दों का वचन-परिवर्तन प्रायः हिंदी-नियमों के अनुरूप होता है, लेकिन कभी-कभी विदेशी भाषा की प्रकृति के अनुरूप वचन-परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे —

फुट —— फ़ीट

काग़ज़ — काग़ज़ात

स्कूल — स्कूल्स

कॉलेज — कॉलेजेस

वाक्यों में कर्त्ता-क्रिया, संज्ञा-विशेषण आदि की अन्विति न रख पाने पर वचन का संतुलन बिगड़ सकता है । जैसे —

लड़का, जो मेले में अपने मित्रों के साथ घूमने गया था, भीड़ में खो गए ।

समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं के वचन-प्रयोग में भ्रमित हो जाने से, वाक्य के दोषपूर्ण हो जाने की आशंका हो जाती है । जैसे —

सेना जाते हैं ।

मेरे परिवार सुखी हैं ।

भावुकता जागते हैं ।

कभी-कभी आदरणीयों के लिए एकवचन प्रयोग कर दिया जाता है । परिणामस्वरूप वचन-दोष आ जाता है । जैसे —

हमारा शिक्षक पढ़ा रहा है ।

पिताजी मुझे बुला रहा है ।

४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली :-

प्रतिभागियों के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में जो जानकारियाँ हुईं, उनके परिप्रेक्ष्य में कार्यप्रणाली व्यवहृत करने पर क्रियाकलाप सार्थक निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं । वचन-परिवर्तन में होनेवाली अशुद्धियों और उनके कारणों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उनको दूर करने के लिए कुछ सुझावों को उल्लेख किया जा रहा है —

मातृभाषा के प्रभाव से बाँगला या उड़िया में उपलब्ध प्रत्ययों का अनावश्यक व्यवहार कर दिया जाता है । वहाँ उन्हें ऐसे प्रयोगों से बचाने की कोशिश करनी होगी । बहुवचन में उपलब्ध सही शब्दों को देते हुए इस दोष का निराकरण किया जा सकता है । जैसे —

अशुद्ध	शुद्ध
भाई लोग	भाई
बच्चा लोग	बच्चे
बालिका सब, लड़का लोग	बालिकाएं, लड़के

अज्ञानता के कारण वचन-परिवर्तन में जो दोष आ जाते हैं, उसके लिए हिंदी के वचन-परिवर्तन संबंधी सामान्य नियमों की जानकारी करानी होगी और बीच-बीच में अपवादों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराना होगा । जैसे —

पुलिंग संज्ञाओं के वचन-परिवर्तन संबंधी कुछ नियम —

आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत का "आ", बहुवचन में "ए" हो जाता है —

कमरा — कमरे

लड़का — लड़के

(निर्देश - यह नियम संस्कृत, अँग्रेज़ी के आकारांत शब्दों पर प्रायः लागू नहीं होता। जैसे — नेता — नेता, ओपेरा — ओपेरा ।)

हिंदी की उन संज्ञाओं में, जो वक्ता से बड़े रिश्तेदारों के लिए प्रयुक्त होती हैं, भी प्रायः "आ" का "ए" नहीं होता । जैसे —

चाचा — चाचा

मामा — मामा

दादा — दादा

आँकारांत पुलिंग संज्ञाओं का "आँ", बहुवचन में "एँ" हो जाता है । जैसे —

कुआँ — कुएँ

धुआँ — धुएँ

"इया" प्रत्ययगत पुलिंग संज्ञाओं में बहुवचन बनने पर अंत के "आ" के स्थान पर"ये"हो जाता है । जैसे —

भेड़िया — भेड़िये

डाकिया — डाकिये

स्त्रीलिंग संज्ञाओं के वचन-परिवर्तन संबंधी कुछ नियम —

जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में कोई व्यंजन होता है, अथवा इ/ई के अतिरिक्त कोई स्वर होता है, तो उनके बहुवचन रूप - एँ प्रत्यय जोड़कर बनते हैं । जैसे —

पुस्तक — पुस्तकें

मेज़ — मेज़ें,

वस्तु — वस्तुएँ

भाषा — भाषाएँ

ऊकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाने में दीर्घ "ऊ" (ू) के स्थान पर ह्रस्व "उ" (ु) हो जाता है । जैसे —

बहू — बहुएँ

इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के बहुवचन रूप बनाने में शब्दों में "याँ" प्रत्यय लगता है ।

जैसे —

रीति —— रीतियाँ

तिथि —— तिथियाँ

ईकरांत संज्ञाओं के बहुवचन शब्द बनाने में दीर्घ इकारांत "ई" का इकारांत होकर, अंत में "याँ" हो जाता है । जैसे —

बेटी —— बेटियाँ

नदी —— नदियाँ

जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में – "इया" होता है, उनके बहुवचन बनने पर अंत में "आ", अनुनासिक "आँ" हो जाता है । जैसे —

चिड़िया —— चिड़ियाँ

बुढ़िया —— बुढ़ियाँ

इसी तरह के अन्य नियम भी बताए जा सकते हैं ।

कई बार प्रतिभागी, कर्त्ता में एकवचन की जगह बहुवचन शब्द प्रयोग कर देते हैं । इस त्रुटि ओर उसका ध्यान आकर्षित किया जाए । जैसे —

"मैं जाता हूँ" की जगह "हम जाता है" ।

विदेशी शब्दों का वचन-परिवर्तन हिंदी नियमों के अनुसार उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहिए । जैसे —

विदेशी भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप

मूल शब्द (एकवचन)	बहुवचन रूप	हिंदी प्रकृति के अनुरूप बहुवचन रूप
फ़ुट	फ़ीट	(फ़ुटों)
काग़ज़	काग़ज़ात	(काग़जों)
स्कूल	स्कूल्स	(स्कूलों)
कॉलेज	कॉलेजेस	(कॉलेजों)

लंबे वाक्य देकर कर्त्ता-क्रिया आदि में अन्विति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। जैसे —

अशुद्ध - लड़का, जो मेले में अपने मित्रों के साथ घूमने गया था भीड़ में खो गए ।

शुद्ध - जो लड़का मेले में अपने मित्रों के साथ घूमने गया था,
भीड़ में खो गया ।

इस वाक्य में कर्त्ता "लड़का" है "मित्रों" नहीं । इसलिए क्रिया, कर्त्ता "लड़का" के अनुसार एकवचन की होगी ।

समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं एकवचन होती हैं । उनकी क्रियाएं भी एकवचन करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए । जैसे —

अशुद्ध	शुद्ध
सेना जाते हैं ।	सेना जाती है ।
भावुकता जागते हैं ।	भावुकता जागती है ।
मेरे परिवार सुखी हैं ।	मेरा परिवार सुखी है ।

आदरणीयों के साथ क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए । इस प्रकार देवता, पूजनीय व्यक्ति, उच्चाधिकारी आदि को लेकर वाक्य बनाकर, उनके वचन-संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है । जैसे —

अशुद्ध	शुद्ध
हमारा शिक्षक पढ़ा रहा है ।	हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं ।
पिताजी मुझे बुला रहा है ।	पिताजी मुझे बुला रहे हैं ।
तुलसीदास राम का भक्त था ।	तुलसीदास राम के भक्त थे ।

५. मूल्यांकन :-

अंतिम बिंदु मूल्यांकन का है । इसका महत्त्व इस बात में है कि इसके आधार पर इस बात की जाँच कर सकते हैं कि आरंभ में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई । प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतिभागियों के क्रियाकलाप जुड़े होने चाहिए ।

इस चरण में प्रतिभागियों से वचन-परिवर्तन संबंधी प्रश्न किए जाएं । विदेशी शब्दों के वचन-परिवर्तन संबंधी प्रश्न पूछे जाएं । लंबे वाक्य देकर अन्विति करने की क्षमता का पता लगाया जाए । "है" और "हैं" रूपों के अंतर को प्रतिभागियों ने कितना समझा है, इसकी जाँच करने के लिए उनसे ऐसे वाक्य बनवाए जाएं जिनमें है/हैं का प्रयोग किया जाना अपेक्षित हो । इस संदर्भ में, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिये जा सकते हैं । उदाहरणार्थ, मिलते-जुलते चार ऐसे वाक्य उल्लिखित किए जाएं जिनमें है/हैं का प्रयोग किया गया हो । उन्हें निर्देश दिये जाएं कि

वचन के अनुरूप जो वाक्य शुद्ध हो, उसके सामने सही (✓) का चिह्न लगाएं । एकवचन से बहुवचन और बहुवचन से एकवचन शब्द बनवाए जाएं । इससे उनकी वचन-प्रयोग की क्षमता का पता लगेगा और उनके दोषों का कितना निराकरण हुआ है, इसकी भी जानकारी हो सकेगी ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
हिंदी प्रशिक्षण पैकेज

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : क्रिया-रूप-शिक्षण :—

अहिंदी/हिंदी भाषी प्रतिभागियों को हिंदी सिखाने के क्रम में विभिन्न कठिनाइयाँ आती हैं, जिनमें से एक है — भाषिक संरचना की विभिन्नता के फलस्वरूप क्रिया-रूपों का वैभिन्न्य । हिंदी भाषा में व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया के अभाव में वाक्य की संरचना पूरी नहीं मानी जा सकती। भाषा की शुद्धता, व्याकरण के सही और सटीक प्रयोग पर ही निर्भर है । इस संदर्भ में भावों के प्रकाशन में क्रिया-रूपों का महत्त्व देखा जा सकता है । यहाँ प्रशिक्षण विषय-वस्तु के रूप में क्रिया-रूपों को लिया जा रहा है । भावों एवं विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में क्रिया एक प्रमुख कारक तत्त्व है ।

२. प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

हिंदी क्रिया-रूप-शिक्षण के क्रम में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं—

(क) क्रिया के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण ।

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय ।

३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप:-

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिभागियों से विभिन्न क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं —

(क) प्रतिभागियों को विभिन्न कार्य-व्यापारों से परिचित करवाना और स्वेच्छा से बोलने के लिए प्रेरित करना ।

(ख) उन्हें किसी निर्धारित विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए उत्साहित करना और क्रिया-रूपों को रेखांकित करवाना ।

(ग) कुछ क्रिया-रूपों का वाक्यों में प्रयोग करवाना ।

(घ) उनसे प्रश्न पूछते हुए, उनके उत्तरों को ध्यान से सुनना ।

इस तरह के क्रियाकलापों से प्रतिभागियों के क्रिया-रूपों के प्रयोगों को जानने का अवसर प्राप्त होगा । उन प्रयोगों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित संभावित कारण सामने आ सकते हैं —

<u>मातृभाषा का प्रभाव</u>

विभिन्न भाषिक संस्कारों से आए प्रतिभागियों को, मातृभाषा के प्रभाव के चलते हिंदी सीखते समय क्रिया-रूपों-संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है । बोलने और

लिखने के क्रम में हिंदी के साथ, उड़िया और बाँगला की क्रियाओं का पार्थक्य दिखाई देता है । जैसे —

सोना (हिंदी)

घूमोनो (बाँगला)

सोइबा (उड़िया)

सुलाना (हिंदी)

सोआनो (बाँगला)

सोआइबा (उड़िया)

बनाना (हिंदी)

बानानो (बाँगला)

तियारी करिबा (उड़िया)

इसी प्रकार हिंदी में "खिलता" के लिए, बाँगला में "फोटा" तथा उड़िया में "फुटिअछि" का प्रयोग होता है । जैसे —

फूल खिलते हैं । (हिंदी)

फूल फोटे । (बाँगला)

फूल फूटि अछि । (उड़िया)

क्रिया-रूपों की ऐसी भिन्नता हिंदी सीखनेवाले के समक्ष समस्या उत्पन्न कर सकती है।

क्रिया-रूपों का अंतर कभी-कभी एक-दूसरे रूप में भी दिखाई दे सकता है । जैसे—

नरेन्द्र खा रहा है । (हिंदी)

नरेन्द्र खाच्छे । (बाँगला)

नरेन्द्र खाउअछि । (उड़िया)

स्पष्ट है कि हिंदी में "खा रहा है" में क्रिया-प्रयोग की स्थिति, बाँगला और उड़िया से भिन्न है ।

<u>पूर्वकालिक क्रिया की दृष्टि से</u>

पूर्वकालिक क्रिया-प्रयोग हिंदी और उड़िया में मिलते-जुलते हैं लेकिन बाँगला में अंतर दिखाई देता है —

सोकर पढ़ते हैं । (हिंदी)

सोईकरि पढुअछन्ति । (उड़िया)

सुए - सुए पढ़छे । (बाँगला)

"कर" शब्द का प्रयोग हिंदी और उड़िया, दोनों में विद्यमान है, लेकिन बाँगला में वह मूल क्रिया में परिवर्तित होकर आवृत्त होता है । हिंदी सिखाते समय बाँगला भाषियों को इस अंतर को समझाना होगा ।

क्रियाओं की अर्थगत भिन्नता की दृष्टि से

अर्थगत भिन्नता के कारण भी हिंदी-प्रयोग करवाते समय क्रियागत अशुद्धियाँ हो सकती हैं । जैसे —

बाँगला में "पीने" क्रिया के लिए प्रायः "खाने" का व्यवहार होता है । जैसे —

राम जल खाच्छे ।

सीता जल खाच्छे ।

रहीम जल खाच्छे ।

इस अंतर के कारण बाँगला भाषी, हिंदी-प्रयोग करते समय ऐसा प्रयोग कर सकते हैं —

राम जल खाता है ।

सीता जल खाता है ।

रहीम जल खाता है ।

यही प्रवृत्ति उड़िया भाषियों के हिंदी-प्रयोग में देखी जा सकती है । उड़िया-प्रयोग करते समय, उनका वाक्य-विन्यास निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है —

राम चा खाउछी ।

रहीम चा खाउछी ।

मीरा चा खाउछी ।

ऐसे वाक्य-विन्यास के कारण उड़िया भाषी हिंदी में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं —

राम चाय खाता है ।

रहीम चाय खाता है ।

मीरा चाय खाता है ।

४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली:-

प्रतिभागियों से करवाए गए क्रियाकलापों के संबंध में जो जानकारियाँ हुईं, उनका विश्लेषण करने पर, क्रिया-प्रयोगों के विषय में उनकी कठिनाइयाँ सामने आयीं जिनके समाधान के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है —

प्रतिभागियों को यह बताना उचित होगा कि उनकी मातृभाषा और हिंदी के क्रिया-रूपों में कहाँ समानता है और कहाँ असमानता । "खा रहा है" (हिंदी), खाच्छे (बाँगला), खाउअछि (उड़िया), जैसे क्रिया-रूपों के भेद की समस्या आने पर, उसे विश्लेषित करने पर विदित होता है कि बाँगला में "है" के बदले "आछे" का प्रयोग है लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाते, लेकिन हिंदी-प्रयोग करते समय "है" के स्थान पर "आछे" का प्रयोग कर सकते हैं । उदाहरणार्थ, हिंदी में "ये मेरी बहन है" के स्थान पर अपनी भाषा के प्रभाव से बाँगलाभाषी "ये आमार बहिन आछे" जैसा प्रयोग कर सकते हैं ।

वस्तुतः बाँगला में "खावा" मूल क्रिया के रूप में व्यवहृत होती है, और उसका परिवर्तित रूप "खाच्छे" प्रयोग में देखा जा सकता है । प्रतिभागियों को बताया जा सकता है कि बाँगला में क्रिया प्रायः मूल या उसके परिवर्तित रूप में आयी है, जबकि हिंदी में "है" के रूप में उसकी अलग से प्रयुक्ति हुई है । इसी तरह, उड़िया में "है" के स्थान पर "अछि" या "अछन्ति" (वचन के अनुसार) प्रयोग करते हैं । उड़िया भाषी प्रतिभागियों को भी इस अंतर के बारे में बताया जाए ।

उल्लेख्य है कि बाँगलाभाषी प्रतिभागी, हिंदी-प्रयोग करते समय अपनी मातृभाषा के प्रभाव के कारण "है" के प्रयोग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वे अपनी भाषा में "आछे" का व्यवहार नहीं करते हैं । इसी तरह उड़िया भाषी प्रतिभागी, मातृभाषा के अभ्यास के कारण हिंदी वाक्य-विन्यास में "अछि" या "अछन्ति" से प्रभावित प्रयोग कर सकते हैं, जैसे—

वह घर <u>जाउअछि</u> । या वे घर <u>जाउअछन्ति</u> ।

इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए अपेक्षित है कि शिक्षक/शिक्षिका, सीखनेवालों की मातृभाषा और हिंदी में प्रयुक्त होनेवाले कुछ क्रिया-रूपों की सूची उन्हें दें । फिर उन्हें स्वयं, अन्य क्रिया-रूपों की सूची बनाने में सहायता दें । निरंतर के अभ्यास से उनकी क्रिया-प्रयोगों के विषय में जानकारी अपेक्षाकृत बढ़ती जाएगी ।

शिक्षक/शिक्षिका उनसे क्रिया-रूपों के प्रयोग संबंधी अभ्यास करवाते/करवाती जाएं और

और नियमित रूप से अभ्यास-कार्य की जाँच करते/करती जाएं । साथ ही, शुद्ध-प्रयोग के संबंध में सीखनेवालों को दिशा-निर्देश भी दिये जाएं ।

पूर्वकालिक क्रिया के प्रयोग को लेकर बाँगला में, हिंदी से जहाँ अंतर है, उसके बारे में प्रतिभागियों को बताना होगा कि हिंदी में "खाकर" "पढ़कर" "सोकर" जैसे रूप प्रयुक्त होते हैं और उनमें मूल क्रिया के साथ "कर" लगा होता है, जबकि बाँगला में आरंभ में आनेवाली क्रिया दोहरा दी जाती है (सुए-सुए) । कई बार के अभ्यास द्वारा इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है ।

क्रियाओं की अर्थगत भिन्नता से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए प्रतिभागियों को मातृभाषा और हिंदी के शब्दों के प्रयोग-संदर्भों को बताना होगा । उदाहरणार्थ, बाँगला और उड़िया भाषा के प्रतिभागियों को बताया जा सकता है कि हिंदी में "पीने" और "खाने" में अंतर किया जाता है, क्योंकि ठोस खाद्य के लिए "खाना" और तरल चीज़ के लिए "पीना" का व्यवहार होता है । जैसे—

सोहन रोटी खाता है ।

गीता दूध पीती है ।

शिक्षक/शिक्षिका ठोस तथा तरल चीज़ों की सूची बनाकर प्रतिभागियों से पूछ सकते/सकती हैं कि किन चीज़ों के साथ "खाना" का व्यवहार होगा और किनके साथ "पीने" का।

क्रिया-प्रयोगों को सिखाने के लिए, सीखनेवालों को दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने-सुनने के लिए प्रेरित किया जाए । साथ ही, स्तर के अनुरूप, उन्हें हिंदी पत्र-पत्रिकाएं भी पढ़ने के लिए दी जाएं । शिक्षक/शिक्षिका, उनके आधार पर प्रश्न करके, उनके क्रिया-प्रयोगों की जानकारी का स्तर मालूम करें ।

५. मूल्यांकन :-

क्रिया-रूपों को लेकर प्रतिभागियों की समझ किस सीमा तक विकसित हुई और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में उन्हें कितनी सफलता मिली, इसकी जानकारी के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुज़रना आवश्यक है । प्रतिभागियों को ऐसे निर्देश दिये जाएं कि वे अपनी मातृभाषा के क्रिया-रूपों की सूची बनाएं और उन रूपों के सामने हिंदी क्रिया-रूप लिखें । इसी तरह वाक्य-प्रयोगों को भी समानांतर लिखाया जा सकता है । इस तरह के क्रियाकलाप करवाने के क्रम में दोनों भाषाओं में विद्यमान समान/असमान क्रिया-रूपों को लिखने के लिए कहा जाए । अध्यापक/

अध्यापिका अपने विवेक से इस तरह के अन्य प्रश्न भी दे सकते/सकती हैं । कुल मिलकर मूल्यांकन का लक्ष्य यही है कि प्रतिभागियों को, क्रियारूपों के प्रयोगों को लेकर जानकारी किस सीमा तक हुई, इसका ज्ञान हो सके, और उस दिशा में प्राप्त परिणाम के आधार पर आगे की शिक्षण-प्रणाली निर्धारित की जा सके ।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
हिंदी प्रशिक्षण पैकेज

१. प्रशिक्षण विषय-वस्तु : कारक-चिह्न-शिक्षण :—

अहिंदी/हिंदी भाषी प्रतिभागियों को हिंदी सिखाने के क्रम में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सही भाषा बोलना और लिखाना, वस्तुतः एक महत्त्वपूर्ण साधना है । भाषा के ये दोनों कौशल, अभिव्यक्ति पक्ष से संबंधित हैं । भावों-विचारों के प्रकाशन के लिये भाषा का ज्ञान आवश्यक है । उल्लेख्य है कि भाषा का ज्ञान, व्याकरण से पुष्ट होता है। व्याकरण के विभिन्न विषयों — कारक, लिंग, वचन, क्रिया आदि का ज्ञान भाषा की जानकारी के लिए आवश्यक है । कारक-चिह्नों के प्रयोग के क्रम में हिंदी सीखनेवालों से कई गलतियाँ हो सकती हैं । उनसे कारक-चिह्नों के प्रयोग में कहाँ-कहाँ गलतियाँ होती हैं या हो सकती हैं, उन जगहों को रेखांकित करना तथा उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर विचार करना यहाँ अभीष्ट है ।

कारक-प्रयोग के संबंध में कठिनाइयाँ उन्हीं प्रतिभागियों की ही नहीं हैं जो अहिंदी भाषी हैं, समस्या उन सीखनेवालों की भी है जिनकी मातृभाषा हिंदी की कोई बोली है। हमारा दायित्व है कि हम उन्हें शब्द एवं वाक्य-संरचना की जानकारी देते हुए कारक-चिह्नों के प्रयोग से अवगत कराएं ।

२. प्रशिक्षण के उद्‌देश्य :-

कारकों के सही प्रयोग को सिखाने के लिए निम्नलिखित उद्‌देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं —

(क) भाषा-प्रयोग में कारक एवं उसकी विभक्तियों के प्रयोग से संबंधित कठिनाइयों को जानकारी करना ।

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाना ।

३. प्रतिभागियों के क्रियाकलाप-

उपर्युक्त उद्‌देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिभागियों से कई क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं । उदाहरणार्थ —

(क) उन्हें स्वेच्छा से किसी विषय पर बोलने के लिए प्रेरित करना।

(ख) उन्हें किसी निर्धारित विषय पर अपने विचारों को मौखिक एवं लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(घ) उनसे प्रश्न पूछते हुए उनके उत्तर को ध्यान से सुनना ।

इस तरह के क्रियाकलापों से प्रतिभागियों के कारक की विभक्तियों के ज्ञान के आकलन का अवसर मिलेगा और इस प्रक्रिया में उनकी संभावित कठिनाइयाँ प्रकाश में आ सकती हैं —

मातृभाषा का प्रभाव

विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों के भाषिक संस्कारों की विभिन्नता के कारण कारक-चिह्नों के सही प्रयोग में व्याघात हो सकता है । यथा —

उड़िया और बाँगला में हिंदी के "ने" का समानार्थी चिह्न न पाया जाना । जैसे —

गाय ने सारी घास चर डाली । (हिंदी)

गायटि सबु घास खाइ देइ अच्छि । (उड़िया)

गोरू सब घास खेये फेल्लों । (बाँगला)

इस कारणवश उड़ियाभाषी या बाँगलाभाषी प्रतिभागी, हिंदी वाक्य-विन्यास-क्रम में "ने" का प्रायः लोप कर देते हैं । जैसे —

गाय सारी घास चर डाली । (अशुद्ध प्रयोग)

इसके अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा में "ने" का व्यवहार नहीं होता, वे हिंदी में "ने" के प्रयोग के प्रति अतिरिक्त सजगता दिखाते हुए जहाँ उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहाँ भी कर सकते हैं । उदाहरणार्थ —

"मैं भोपाल गया था" के स्थान पर "मैंने भोपाल गया था" जैसा प्रयोग कर दिया जाता है जो अशुद्ध है ।

जानकारी के अभाव के कारण

जानकारी के अभाव के कारण भी कारक-चिह्नों के प्रयोग में ग़लतियाँ हो सकती हैं । यथा —

उड़िया में हिंदी के कर्मकारक "को" के बदले "कु" का प्रयोग होता है और बाँगला में "को" की जगह "के" का प्रयोग होता है । यथा —

राम ने रावण को मारा । (हिंदी)

राम रावण क मारिले । (उडिया)

राम रावण के मारलो । (बाँगला)

इस उदाहरणों से स्पष्ट है कि उड़िया या बाँगलाभाषी हिंदी-प्रयोग करते समय "को" के स्थान पर क्रमशः "कु" या "के" का प्रयोग कर सकते हैं । इस तरह, अन्य कारक-चिह्नों के प्रयोग में भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं ।

४. क्रियाकलापों को पूरा करने की कार्यप्रणाली :-

प्रतिभागियों के क्रियाकलापों को करवाने के क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हों, उनका उपयोग हिंदी कारक-चिह्नों के शिक्षण-क्रम में कर सकते हैं । इस संदर्भ में हिंदी सीखनेवालों को, उनकी मातृभाषा और हिंदी के कारक-चिह्नों की समानांतर जानकारी करायी जा सकती है । यथा –

हिंदी और उड़िया एवं बाँगला में कारक - चिह्नों की स्थिति को निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझाया जा सकता है –

<u>प्रथम पुरुष</u>

मैंने यह काम किया । (हिंदी)
मूँ एहि काम करलि । (उड़िया)
आमि ऐइ काज कोरेछि । (बाँगला)
मेरे मित्र आ गए हैं । (हिंदी)
मोर बंधु आसि अछन्ति । (उड़िया)
अमार बंधु एसे गेछेने । (बाँगला)
हमारा घर कहाँ है । (हिंदी)
आमो घर कोउटि अच्छि । (उड़िया)
आमादेर घर कोथाए आछे । (बाँगला)

<u>मध्यम पुरुष</u>

तुम्हारी पुस्तक कहाँ है ? (हिंदी)
तोमरो वहि कोउटि अच्छि ? (उड़िया)
तोमार वोई कोथाए आछे ? (बाँगला)

<u>अन्य पुरुष</u>

राम ने रावण को वाण से मारा । (हिंदी)
राम रावण कु बाण द्वारा मारिले । (उड़िया)

राम रावण के बाण दीए (बाणेर द्वारा) मारलो। (बाँगला)

राम को मिठाई दो। (हिंदी)
राम कु मिठाई दिअ। (उड़िया)
राम के मिष्ठी दाओ। (बाँगला)

राम के लिए यह काम कर रहा हूँ। (हिंदी)
राम पाइ मुँ एहि काम करुछि। (उड़िया)
रामेर जन्ने एइ काज कोरछी। (बाँगला)

राम की पुस्तक लाओ। (हिंदी)
रामेर वई आणो। (उड़िया)
रामेर बोइ आनो। (बाँगला)

पेड़ से पत्ता गिर रहा है। (हिंदी)
गछरू पत्र पड़अछि। (उड़िया)
गाछ थेके पाता पोड़छे। (बाँगला)

पहाड़ पर मुनि रहते हैं। (हिंदी)
पहाड़ उपर मुनि रहु अछन्ति। (उड़िया)
पाहाड़े मुनिरा वास करे। (बाँगला)

जंगल में शेर रहता है। (हिंदी)
जंगल रे सिंह रहुअछि। (उड़िया)
जंगले सिंह थाके। (बाँगला)
जंगल में शेर रहते हैं। (हिंदी)
जंगलरे सिंह रहु अछन्ति। (उड़िया)
बने सिंहेर बास। (बाँगला)

हे राम । तुम कहाँ हो । (हिंदी)

हे राम । तुमि कोउटि अछो । (उड़िया)

हे राम । तुमी कोथाय आछो । (बाँगला)

अरे । यह क्या अनर्थ हो गया । (हिंदी)

आहे । एहा कण अनर्थ होइ गला । (उड़िया)

आह । कि अनर्थ होय गेलो । (बाँगला)

यहाँ हिंदी के साथ-साथ उड़िया और बाँगला के कारक-चिह्नों को उल्लिखित किया गया है । उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि उड़िया एवं बाँगला में कर्त्ताकारक के चिह्न "ने" का व्यवहार नहीं होता, जबकि हिंदी में "ने" का प्रयोग होता है । इन उदाहरणों के द्वारा विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है कि "ने" का प्रयोग कर्त्ता के साथ तभी होता है, जब क्रिया सकर्मक और भूतकाल की हो और साथ ही कर्तृवाच्य की हो । इसी तरह, उड़िया और बाँगला, दोनों में हिंदी के कारक-चिह्न का/की (रामका/रामकी) के स्थान पर "एर" (रामेर) का प्रयोग होता है । इस तरह के अन्य कारक-चिह्नों को, ऊपर दिये गए उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है । शिक्षक/शिक्षिका इसके अनुकरण पर अन्य वाक्य भी बना सकते हैं और हिंदी कारकों के प्रयोग के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दे सकते हैं ।

हिंदी सीखनेवाले प्रतिभागियों से, हिंदी के "कर्म" और "संप्रदान" दोनों कारकों के प्रयोग "को" लेकर अशुद्धि हो सकती है क्योंकि दोनों में "को" चिह्न का व्यवहार होता है । इस भ्रम से बचाने के लिए प्रतिभागियों को बताना होगा कि जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वहाँ "को" चिह्न कर्मकारक का होगा, और जहाँ किसी के लिए कोई क्रिया करने या कोई चीज़ देने की बात हो, तो वहाँ "को" संप्रदान कारक से संबंधित होगा । जैसे —

राम ने रावण <u>को</u> मारा । ("को"चिह्न कर्मकारक का है)

राम <u>को</u> मिठाई दो । ("को"चिह्न संप्रदान कारक का है)

इसी क्रम में उन्हें बताना होगा कि करण और अपादान, दोनों कारकों का विभक्ति चिह्न "से" है । ध्यान देने योग्य है कि करण कारक में विभक्ति चिह्न "से" साधन के लिए आता है, जबकि अपादान में यही चिह्न अलग होने के अर्थ में व्यवहृत होता है। जैसे —

राम ने रावण को बाण <u>से</u> मारा । ("से" चिह्न करण कारक का है क्योंकि बाण साधन का कार्य कर रहा है।)

पेड़ <u>से</u> पत्ता गिरा। ("से" चिह्न अपादान कारक का है, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है।)

विद्यार्थियों से अधिकाधिक अभ्यास करवाने से उनका कारक-प्रयोग ठीक होता जाएगा । शिक्षक/शिक्षिका, विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तक के वाक्यों से कारक-चिह्न छाँटने के लिए कह सकते/सकती हैं और फिर विद्यार्थी स्वयं वाक्य-निर्मित करें तथा उनमें प्रयुक्त कारकों को निर्दिष्ट करने का प्रयास करें ।

५. मूल्यांकन :-

प्रतिभागियों ने कारक-चिह्नों का कितना ज्ञान प्राप्त किया, इसे मालूम करने के लिए, उनका मूल्यांकन करना होगा । मूल्यांकन के अंतर्गत प्रतिभागियों को, दुविधा उत्पन्न करने वाले कारकों को उल्लिखित करवाकर, उनसे वाक्य-प्रयोग करवाए जाएं । जैसे, "ने", "को", "से" कारक-चिह्नों को लिया जा सकता है । इसी तरह रिक्तस्थानों की पूर्ति भी उचित कारक-चिह्नों से करवायी जा सकती है । शिक्षक/शिक्षिका इसी तरह की अन्य कार्यप्रविधियों पर विचार कर सकते/सकती हैं । उदाहरण के लिए जिस प्रतिभागी को कारक-चिह्न के प्रयोग का विवेक हो चुका है, वे दूसरे प्रतिभागियों के कार्य का निरीक्षण एवं जाँच कर सकते हैं । इस क्रम में प्रतिभागियों से उनकी मातृभाषा और हिंदी के कारक-चिह्नों को समानांतर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है । यदि हिंदी में किसी कारक-चिह्न का समकक्ष, सीखनेवाले की मातृभाषा में न हो तो, हिंदी कारक-चिह्न के सामने "शून्य"(०) उल्लिखित करने के लिए कहा जा सकता है ।

परिशिष्ट

प्रतिभागियों की सूची

१. श्री सुभाष कुमार पांडेय,
हिंदी शिक्षक,
श्री बालकृष्ण विट्ठलनाथ विद्यालय,
२६ पी. के. टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता

२. श्री शिवसहाय सिंह,
हिंदी शिक्षक
श्रीबालकृष्ण विट्ठलनाथ विद्यालय
२६, पी. के. टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता

३. श्री सुरेश पांडेय,
हिंदी शिक्षक
श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय,
१६०-ए, चितरंजन एवेन्यु, कलकत्ता

४. श्री राधारमण सिंह,
हिंदी शिक्षक
श्रीडीडू माहेश्वरी पंचायत विद्यालय,
३७७बी, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता

५. श्री मन्नू प्रसाद साव,
हिंदी शिक्षक,
कांकीनारा हिमायुतुल गुर्बा हाईस्कूल,
ज़िला - २४ परगना (उत्तर)

६. श्री विश्वनाथ सिंह,
हिंदी शिक्षक,
कांकीनारा हिमायतुल गुर्बा हाईस्कूल
पो. ऑ. कांकीनारा
ज़िला - २४ परगना (उत्तर)

७. श्री रामजन्म सिंह यादव,
हिंदी शिक्षक
कांकीनारा हिमायतुल गुर्बा हाईस्कूल
पो. ऑ. कांकीनारा,
ज़िला - २४ परगना (उत्तर)

८. श्री हृदय नारायण त्रिपाठी,
हिंदी शिक्षक
जायसवाल विद्यामंदिर (लड़कों के लिए)
१७२-ए विवेकानंद रोड,
कलकत्ता

९. श्री मदन मोहन तिवारी,
हिंदी शिक्षक
श्रीडीडू माहेश्वरी पंचायत विद्यालय
३७७बी, अपर चितपुर रोड,
कलकत्ता

१०. श्री संतोष कुमार मोहंती,
हिंदी शिक्षक
जी. पी. विद्यापीठ
विश्वनाथपुर, पुरी

११. श्री भुवनेश्वर राउत,
हिंदी शिक्षक
एस. एस. सी. जे. बहुमुखी शिक्षा निकेतन,
पो. ऑ. देवगाँ,
द्वारा, गोंडिया,
ज़िला - ढेंकानाल

१२. श्री निरंजन बारिक,
हिंदी शिक्षक
पंगाटिरा हाईस्कूल,
पो. आ. पंगाटिरा,
ज़िला - ढेंकानाल

१३. श्री मोहम्मद एरकान,
हिंदी शिक्षक
आर. एन. साहू हाईस्कूल,
ताराकोट, जाजपुर

१४. श्री लक्ष्मीकांत नायक,
हिंदी शिक्षक
बी. सी. हाईस्कूल
पो. तेंटेई, अनंतपुर,
बालेश्वर

संसाधक व्यक्तियों की सूची

बाहय संसाधक व्यक्ति

१. डॉ. बिक्रम कुमार दास,
प्रोफ़ेसर (अँग्रेज़ी)
३५, सत्यनगर,
भुवनेश्वर

२. श्री विश्ववीर विद्यार्थी,
पूर्व प्राचार्य,
६९८, नयापल्ली,
भुवनेश्वर

३. डॉ. शंकर लाल पुरोहित,
रीडर, हिंदी विभाग,
बी.जे.बी. महाविद्यालय,
भुवनेश्वर

४. डॉ. सुव्रत लाहिड़ी,
रीडर, हिंदी विभाग
प्रेसीडेंसी कॉलेज,
कलकत्ता

५. डॉ. विमलेश्वर द्विवेदी,
वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग
उमेशचंद्र कॉलेज,
कलकत्ता

६. डॉ. सुधांशु कुमार नायक,
रीडर, हिंदी विभाग
रमादेवी महिला महाविद्यालय,
भुवनेश्वर

आंतारिक संसाधक व्यक्ति

१. डॉ. विजय कुमार सुनवानी,
रीडर (अँग्रेज़ी)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

२. डॉ. सत्यपाल आनंद,
रीडर (शिक्षा शास्त्र)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

३. डॉ. सुशील कुमार गोयल,
रीडर (शिक्षा शास्त्र)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

४. डॉ. अंबादत्त तिवारी,
रीडर (शिक्षा शास्त्र)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

५. डॉ. कीर्तिचंद पंडा,
पी. जी. टी. (हिंदी)
डी. एम. स्कूल, भुवनेश्वर

६. डॉ. अनूप कुमार,
वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता
एवं
कार्यक्रम समन्वयक,
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,
भुवनेश्वर

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

पी.ए.सी.कार्यक्रम सं.१७.२३ : "माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण"

मॉड्यूलों के कक्षा में परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश

माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास, इस संस्थान में आयोजित एक कार्यशाला में हुआ था जो दिनांक ८.९.९७ से १२.९.९७ तक हुई थी । उसमें हिंदी-शिक्षण की विभिन्न कठिनाइयों को लेकर कई मॉड्यूल तैयार किए गए थे । हिंदी-शिक्षण में ये मॉड्यूल कितने उपयोगी हैं, इसकी पहचान करने के लिए उनका कक्षा के दौरान परीक्षण (ट्राई आउट) करना अपेक्षित है । मॉड्यूलों के कक्षा में परीक्षण हेतु दिशा-निर्देश यहाँ दिए जा रहे हैं—

१. परीक्षण-कार्य के पूर्व शिक्षक/शिक्षिका संबंधित मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे/पढ़ेंगी । तात्पर्य यह है कि मॉड्यूल के विभिन्न पक्षों को देखेंगे/देखेंगी और उसमें विद्यमान तारतम्य को समझकर, प्रशिक्षण विषय-वस्तु को पढ़ाने की शुरूआत करेंगे/करेंगी ।

२. पर्यवेक्षक भी संबंधित मॉड्यूल को, कक्षा में शिक्षण-कार्य से पूर्व, अच्छी तरह से पढ़ेंगे । कक्षा में शिक्षण-कार्य के दौरान वे गहन पर्यवेक्षण करते हुए "पर्यवेक्षण तालिका" भरेंगे ।

३. शिक्षक शिक्षिका को यह बात ध्यान में रखनी है कि मॉड्यूल के विभिन्न बिंदुओं को इस तरह से पढ़ाना है कि उसके (मॉड्यूल के) निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। कारण यह कि उपलब्धि की वास्तविक परख उद्देश्य-प्राप्ति की स्थिति पर निर्भर करती है ।

४. शिक्षक शिक्षिका इस बात का बराबर ध्यान रखें कि मॉड्यूल के आधार पर जो पढ़ाया जाए , वह विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर किया जाए । कारण यह कि शिक्षा-व्यवस्था के केंद्र में सीखनेवाले ही होते हैं । साथ ही, ज़रूरी है कि पूरे शिक्षण-कार्य में उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जाए ।

५. शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षण विषय-वस्तु को पढ़ाने के क्रम में, मॉड्यूल के अनुरूप, विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी कर लें जिससे विदित हो सके कि विद्यार्थियों ने मॉड्यूल की प्रशिक्षण विषय-वस्तु को किस स्तर तक ग्रहण किया और शिक्षक/शिक्षिका को सिखाने के कार्य में किस सीमा तक सफलता मिली ।

६. मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका कक्षा में पढ़ाएंगे/पढ़ाएंगी और कक्षा की समाप्ति के तुरंत बाद "शिक्षक/शिक्षिका - स्वयं-मूल्यांकन-तालिका" भरेंगे/भरेंगी ।

७. परीक्षण-कार्य के संदर्भ में "पर्यवेक्षण तालिका" और "शिक्षक/शिक्षिका-स्वयं मूल्यांकन-तालिका" की विभिन्न प्रतियाँ, पर्यवेक्षक और शिक्षक शिक्षिका को उपयोग हेतु पहले ही दे दी जाएंगी ।

८. प्रत्येक मॉड्यूल के लिए अलग-अलग तालिकाएं भरी जाएंगी ।

९. परीक्षण-कार्य की समाप्ति पर प्रत्येक विद्यालय के पर्यवेक्षक और शिक्षक/शिक्षिका, अपनी-अपनी तालिकाएं भर कर एक साथ रखकर अधोहस्ताक्षरी को ३० जनवरी १९९८ तक "पंजीकृत डाक" (रजिस्टर्ड पत्र) से अवश्य भेज दें जिससे उन तालिकाओं परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मॉड्यूलों में, यदि आवश्यक हुआ तो, संशोधन और परिवर्द्धन किया जा सके और प्रशिक्षण पैकेज का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) समय-सीमा में तैयार किया जा सके ।

अनूप कुमार
पी.ए.सी. कार्यक्रम स. १७.२३
कार्यक्रम समन्वयक
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर - ७५१००७

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

पी.ए.सी.कार्यक्रम सं.१७.२३ : "माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण"

शिक्षक/शिक्षिका-स्वयं-मूल्यांकन-तालिका

(शिक्षक/शिक्षिका अपनी कक्षा की समाप्ति पर तुरंत भरे)

मॉड्यूल सं. कक्षा बालकों की संख्या समय-अवधि

बालिकाओं की संख्या पीरिएड

निर्देश :- जहाँ क,ख,ग,घ,ङ के रूप में श्रेणियाँ दी गयी हैं, शिक्षण के दौरान जिसे ठीक समझें, उस पर सही (✓) का चिह्न लगाइएं ।

१. मैंने अध्यापन-कार्य मॉड्यूल के अनुरूप किस सीमा तक किया ? क ख ग घ ङ.

२. मेरे अध्यापन-कार्य में कितनी स्पष्टता रही ? क ख ग घ ङ.

३. विद्यार्थियों की कठिनाइयाँ किस स्तर तक दूर हुईं ? क ख ग घ ङ.

४. शिक्षण-कार्य के दौरान, विद्यार्थी कितने एकाग्रचित्त थे ? क ख ग घ ङ.

५. आपकी दृष्टि में विद्यार्थियों ने किस कार्य-प्रविधि को अधिक पंसद किया ?

१. श्यामपट - कार्य

२. समूह - कार्य

३. व्याख्यान

४. यदि अन्य कोई हो, तो

६. निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक हुई ? क ख ग घ ङ.

७. संबंधित विषय के बारे में विद्यार्थियों का ज्ञान किस स्तर तक बढ़ा ?	क	ख	ग	घ	ड.
८. मॉड्यूल की भाषा, विद्यार्थियों के स्तर के कितने अनुकूल लगी ?	क	ख	ग	घ	ड.
९. मॉड्यूल के अनुसार पढ़ाने से आप कितने संतुष्ट हैं ?	क	ख	ग	घ	ड.

१०. मेरी दृष्टि में मॉड्यूल को बेहतर बनाने के उपाय ये हैं :-

विद्यालय :	शिक्षक के हस्ताक्षर

स्थान :	नाम

दिनांक :	पता

क. ख़राब	ख. साधारण	ग. औसत	घ. अच्छा	ड. बहुत अच्छा

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

पी.ए.सी. कार्यक्रम सं. १७.२३ : "माध्यमिक स्तर पर हिंदी-शिक्षण हेतु अत्यावश्यक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास और परीक्षण"

पर्यवेक्षण-तालिका

(कक्षा के दौरान, पर्यवेक्षकों द्वारा भरी जारी है)

मॉड्यूल सं. कक्षा बालकों की संख्या समय-अवधि

बालिकाओं की संख्या पीरियड

निर्देश :- जहाँ क, ख, ग, घ, ड. के रूप में श्रेणियाँ दी गयी हैं, पर्यवेक्षण के दौरान जिसे ठीक समझें, उस पर सही (√) का चिह्न लगाएं ।

१. शिक्षक/शिक्षिका ने मॉड्यूल के विषय को कितने प्रभावी ढंग से पढ़ाया ?	क	ख	ग	घ	ड.
२. शिक्षक/शिक्षिका ने विद्यार्थियों की कठिनाइयों को किस स्तर तक दूर किया ?	क	ख	ग	घ	ड.
३. मॉड्यूल में जो कार्य-प्रविधि बतायी गई है, उसका अनुपालन शिक्षक/शिक्षिका ने किस सीमा तक किया ?	क	ख	ग	घ	ड.
४. कक्षा में विद्यार्थियों ने किस स्तर तक रुचि दिखाई ?	क	ख	ग	घ	ड.
५. मॉड्यूल की भाषा, विद्यार्थियों के स्तर के कितने अनुकूल थी ?	क	ख	ग	घ	ड.
६. क्या शिक्षक/शिक्षिका ने विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर अध्यापन किया ?	क	ख	ग	घ	ड.
७. पढ़ाते समय शिक्षक/शिक्षिका मॉड्यूल से यदि विचलित हुए, तो कहाँ हुए ?					

८. कक्षा में किस कार्य-प्रविधि पर अधिक

बल दिया गया ?

१. श्यामपट-कार्य

२. समूह-कार्य

३. व्याख्यान

४. यदि अन्य कोई हो, तो

९. मॉड्यूल कितना प्रभावी था ?

१०. मॉड्यूल में और क्या सुधार किए

जा सकते हैं ?

टिप्पणी :-

विद्यालय :	पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
स्थान :	नाम
दिनांक :	पता

क. ख़राब   ख. साधारण   ग. औसत   घ. अच्छा   ङ. बहुत अच्छा

विद्यालय – सूची

(जहाँ मॉड्यूलों का परीक्षण (ट्राई आउट) किया गया ।)

१. श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय,
१६०-ए चितरंजन एवेन्यू
कलकत्ता – ७००००३

२. श्री बालकृष्ण विट्ठलनाथ विद्यालय,
२६, पी. के. टैगोर स्ट्रीट,
कलकत्ता – ७००००६

३. चंद्रशेखर जीऊ बहुमुखी शिक्षा निकेतन
पो. ऑ. देवगाँ
द्वारा, गोंडिया
ढेंकानाल – ७५९०१६